


उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-8  
सं० /2017/9(120)/XXVII(8)/2017  
देहरादून :: दिनांक: 10 सितम्बर, 2017  
अम्बुकर

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सहर्ष, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 को अग्रेतर संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

**उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2017**

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह नियम उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
- नियम 119 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017(जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है) के वर्तमान नियम 119 में—  
(क) "प्रधान और अभिकर्ता द्वारा रखे स्टॉक की घोषणा" शीर्षक में "प्रधान और" के उपरान्त "छुटपुट कर्मकार या" अंतर्विष्ट किया जायेगा।  
(ख) शब्द "जिसको" के बाद "धारा 141 या" अंतर्विष्ट किया जायेगा।
- नियम 122 का संशोधन 3. स्तम्भ-1 में दिए गए "मूल नियमावली" के वर्तमान नियम 122 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>122. प्राधिकरण का गठन.-- प्राधिकरण परिषद् द्वारा नामनिर्देशित निम्नलिखित से मिलकर बनेगा--</p> <p>(क) अध्यक्ष जिसने भारत सरकार के सचिव की श्रेणी के समतुल्य पदधारण किया है या किया हो</p> <p>(ख) चार तकनीकी सदस्य जो राज्य कर आयुक्त या केन्द्रीय कर आयुक्त है या रहा है या जिसने विद्यमान विधि के अधीन समतुल्य पद धारण किया है या किया हो</p>	<p>122. प्राधिकरण का गठन :- प्राधिकरण का गठन केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 122 के प्राविधानों के अनुसार होगा"।</p> <p style="text-align: center;"> 6434 12/10/2017</p>

नियम 123 का संशोधन 4. स्तम्भ-1 में दिए गए "मूल नियमावली" के वर्तमान नियम 123 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>123. स्थायी समिति और छानबीन समिति का गठन:--(1) परिषद राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट, ऐसे अधिकारियों से मिलकर मुनाफाखोरी रोधी स्थायी समिति का गठन कर सकेगा।</p> <p>(2) राज्य स्तरीय छानबीन समिति राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य में गठित की जाएंगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—</p> <p>(क) आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया, राज्य सरकार का कोई अधिकारी और</p> <p>(ख) मुख्य आयुक्त द्वारा नामनिर्देशित किया गया, केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी ।</p>	<p>123. स्थायी समिति और छानबीन समिति का गठन:- स्थायी समिति और छानबीन समिति का गठन केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 123 के प्राविधानों के अनुसार होगा।</p>

नियम 124 का संशोधन 5. स्तम्भ-1 में दिए गए "मूल नियमावली" के वर्तमान नियम 124 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<p>124. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधनों और शर्तें:- (1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थायी समिति जिसका गठन परिषद/बोर्ड द्वारा प्रयोजन के लिए किया गया है, की सिफारिशों पर होगी ।</p> <p>(2) अध्यक्ष को 2,25,000 (नियत) मासिक वेतन संदत्त किया जाएगा और अन्य भत्ते और फायदे यथाग्राह्य है जैसे कि केन्द्रीय सरकार में पदधारण किए अधिकारी को समान वेतन में दिए जा रहे हैं।</p> <p>परंतुक यह कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी अध्यक्ष के रूप में चयनित होता है उसे रु0 2,25,000/- का मासिक वेतन में से पेंशन की रकम घटाकर संदत्त किया जाएगा ।</p> <p>(3) तकनीकी सदस्य को 2,05,400 (नियत)</p>	<p>124. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधनों और शर्तें:- प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधनों और शर्तें केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 124 के प्राविधानों के अनुसार होंगे</p>

मासिक वेतन संदत्त किया जाएगा और वह भत्ते आहरित करने का हकदार होगा जैसे कि भारत सरकार के समूह 'क' पदधारित अधिकारी को समान वेतन में ग्राह्य है।

परंतु यह कि जहां कोई सेवानिवृत्त अधिकारी तकनीकी सदस्य के रूप में चयनित होता है उसे ₹0 2,05,400/- का मासिक वेतन में से पेंशन की रकम घटाकर संदत्त किया जाएगा।

(4) अध्यक्ष, उस तारीख से जिससे उन्होंने कार्यभार संभाला है, से दो वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, जो भी पहले हो और पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होगा।

परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चयनित नहीं होगा, यदि उसकी आयु बासठ वर्ष की हो चुकी है।

(5) प्राधिकरण का तकनीकी सदस्य, उस तारीख से जिससे उन्होंने कार्यभार संभाला है, से दो वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, जो भी पहले हो और पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होगा।

परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति तकनीकी सदस्य के रूप में चयनित नहीं होगा यदि उसकी आयु बासठ वर्ष की हो चुकी है।

नियम 125 का 6. स्तम्भ-1 में दिए गए "मूल नियमावली" के वर्तमान नियम 125 के स्थान पर संशोधन स्तम्भ-2 में दिया निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
125. प्राधिकरण का सचिव.-- बोर्ड के अधीन रक्षोपाय अपर महानिदेशक, प्राधिकरण का सचिव होगा।	125. प्राधिकरण का सचिव- प्राधिकरण का सचिव, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 125 के प्राविधानों के अनुसार होगा।

नियम 126 का 7. स्तम्भ-1 में दिए गए "मूल नियमावली" के वर्तमान नियम 126 के स्थान पर संशोधन स्तम्भ-2 में दिया निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
126. पद्धति और प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति:-- प्राधिकरण यह अवधारण करने के लिए कि क्या माल या सेवाओं के पूर्ति पर कर की दर में कटौती या इनपुट कर प्रत्यय पर फायदे, मूल्य में कटौती की अनुरूपता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से प्राप्तकर्ता को पहुंच रहे हैं, पद्धति और प्रक्रिया को अवधारित कर सकता है।	126. पद्धति और प्रक्रिया अवधारित करने की शक्ति केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 126 के प्राविधानों के अनुसार होगी

नियम 137 का 8. स्तम्भ-1 में दिए गए "मूल नियमावली" के वर्तमान नियम 137 के स्थान पर संशोधन स्तम्भ-2 में दिया निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
137. प्राधिकरण की अवधि.--परिषद्, उस तारीख से जब से अध्यक्ष ने कार्यभार संभाला था, से दो वर्ष के पश्चात् अस्तित्वहीन हो जाएगी, जब तक कि परिषद् अन्यथा सिफारिश न करे।	137. प्राधिकरण की अवधि- प्राधिकरण की अवधि केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 137 के प्राविधानों के अनुसार होगी।

नियम 138 का 9. स्तम्भ-1 में दिए "मूल नियमावली" के वर्तमान नियम 138 के स्थान पर संशोधन स्तम्भ-2 में दिया गया निम्नलिखित नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
138. ई-वे नियम - सरकार, ऐसे समय तक जब तक कि ई-वे बिल प्रणाली परिषद् द्वारा विकसित और अनुमोदित नहीं की जाती है, अधिसूचना द्वारा उन दस्तावेजों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिन्हे उस व्यक्ति द्वारा जो प्रवहण जिसमें माल का परेषण किया जा रहा है, संचलन या अभिवहन भंडारण में माल ले जाने के दौरा न अपने पास रखेगा।	"138. माल का संचलन और ई-वे बिल के सृजन से पूर्व प्रस्तुत की जाने वाली सूचना--(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो माल के पारेषण, जिसका मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है, का— (i) किसी पूर्ति के संबंध में संचलन कारित करता है ; (ii) पूर्ति से भिन्न किसी कारण से संचलन कारित करता है ; या

(iii) किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से आवक पूर्ति के कारण संचलन कारित करता है,

ऐसे संचलन के प्रारंभ होने से पूर्व उक्त माल के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 के भाग क में सूचना प्रस्तुत करेगा।”

(2) जहां माल का परिवहन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति पारेषित के रूप में या पारेषिती के रूप में पूर्ति के प्राप्तिकर्ता के रूप में किया जाता है, चाहे स्वयं के परिवहन में या भाटक पर लिए गए या रेल द्वारा या वायुयान द्वारा या किसी जलयान द्वारा, तो उक्त व्यक्ति या प्राप्तिकर्ता प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 के भाग ख में सूचना प्रस्तुत करने के पश्चात् सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 में ई-वे बिल का सृजन कर सकेगा।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन ई-वे बिल सृजित नहीं किया जाता है और माल को सड़क द्वारा परिवहन के लिए परिवहनकर्ता को सौंप दिया जाता है तो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति परिवहनकर्ता के संबंध में सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 के भाग ख में सूचना प्रस्तुत करेगा और ई-वे बिल को उक्त पोर्टल पर परिवहनकर्ता द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना के आधार पर सृजित किया जाएगा :

परंतु यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या परिवहनकर्ता अपने विकल्प पर ई-बिल का तब भी सृजन और वहन कर सकेगा जब पारेषण का मूल्य पचास हजार रुपए से कम है :

परंतु यह और कि जब संचलन किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा या तो अपने स्वयं के या किसी भाटक पर वाहन या किसी परिवहनकर्ता के माध्यम से कारित किया जाता है तो वह या परिवहनकर्ता अपने स्वयं के विकल्प पर इस नियम में विनिर्दिष्ट रीति में सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 में ई-बिल का सृजन कर सकेगा :

परंतु यह भी कि जहां माल का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पारेषक के कारबार के स्थान से परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान को अगो परिवहन के लिए दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है तो पूर्तिकार या परिवहनकर्ता प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 के भाग ख में वाहन के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करेंगे।

स्पष्टीकरण 1. इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए जब माल की पूर्ति किसी गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता को की जाती है जो रजिस्ट्रीकृत है तो संचलन को ऐसे प्राप्तिकर्ता द्वारा कारित किया गया कहा जाएगा यदि माल का संचलन प्रारंभ होने के समय प्राप्तिकर्ता ज्ञात है।

स्पष्टीकरण 2. प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 के भाग क में सूचना को पूर्ति के पारेषक या प्राप्तिकर्ता द्वारा पारेषिती के रूप में वहां प्रस्तुत किया जाएगा, जहां माल का परिवहन रेल या वायुयान या जलयान द्वारा किया गया है।

(4) सामान्य पोर्टल पर ई-वे बिल के सृजन पर सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार, प्राप्तिकर्ता और परिवहनकर्ता को एक विशिष्ट ई-वे बिल संख्या (ईबीएन) उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) अंतरण के अनुक्रम में एक वाहन से दूसरे वाहन को मालों का अंतरण करने वाला परिवहनकर्ता ऐसे अंतरण से पूर्व और माल के तथा संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 में ई-वे बिल में वाहन के ब्यौरों को अद्यतन करेगा :

परंतु जहां मालों का परिवहन राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में परिवहनकर्ता के कारबार के स्थान से अंतिमतः पारेषिती के कारबार के स्थान को दस किलोमीटर से कम दूरी के लिए किया जाता है, तो वाहन के ब्यौरों को ई-वे बिल में अद्यतन नहीं किया जाएगा।

(6) उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में ई-वे बिल के सृजन के पश्चात्, जहां बहुल पारेषणों को एक वाहन में परिवहन करना आशयित है तो परिवहनकर्ता ऐसे प्रत्येक पारेषण के संबंध में सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित ई-वे बिलों की क्रम संख्या को उपदर्शित कर सकेगा और माल के संचलन से पूर्व उक्त सामान्य पोर्टल पर उसके द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 02 में एक समेकित ई-वे बिल का सृजन किया जा सकेगा ।

(7) जहां पारेषक या पारेषिती ने उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 का सृजन नहीं किया है और वाहन में ले जाए जाने वाले माल का मूल्य पचास हजार रुपए से अधिक है तो परिवहनकर्ता, यथास्थिति, पूर्ति के बीजक या बिल या परिदान चालान के आधार पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 का सृजन करेगा और माल के संचलन से पूर्व सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 02 में समेकित ई-वे बिल का भी सृजन कर सकेगा ।

(8) प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी - 01 के भाग क में प्रस्तुत सूचना को सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा जो उसका उपयोग प्ररूप जीएसटीआर - 01 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कर सकेगा :

परंतु जहां सूचना को गैर-रजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार द्वारा प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 में प्रस्तुत किया गया है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा, यदि मोबाइल नंबर या ई-मेल उपलब्ध नहीं है।

(9) जहां इस नियम के अधीन ई-वे बिल सृजित किया गया है किंतु माल का या तो परिवहन नहीं किया गया है या परिवहन प्रस्तुत ई-वे बिल के ब्यौरों के अनुसार नहीं किया गया है तो ई-वे बिल को सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से ई-वे बिल के सृजन के चौबीस घंटों के भीतर रद्द किया जा सकेगा :

परंतु किसी ई-वे बिल को रद्द नहीं किया जा सकेगा यदि उसका नियम 138ख के उपबंधों के अनुसार अंतरण में सत्यापन कर दिया गया है ।

(10) इस नियम के अधीन सृजित ई-वे बिल या समेकित ई-वे बिल सुसंगत तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में वर्णित अवधि के लिए स्तंभ (2) में यथावर्णित माल द्वारा परिवहन की जाने वाली दूरी के लिए वैध होगा :

#### सारणी

क्रम सं.	दूरी	वैधता की अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	100 किलोमीटर तक	एक दिन
2.	प्रत्येक 100 किलोमीटर या तत्पश्चात् उसके भाग के लिए	एक अतिरिक्त दिन

परंतु आयुक्त अधिसूचना द्वारा किसी ई-वे बिल की वैधता का उसमें विनिर्दिष्ट माल के कतिपय प्रवर्गों के लिए विस्तार कर सकेगा :

परंतु यह और कि आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन, जहां माल का परिवहन ई-वे बिल की वैधता अवधि के भीतर नहीं किया जा सकता है, तो परिवहनकर्ता प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-

C1 के भाग ख में ब्यौरों को अद्यतन करने के पश्चात् दूसरा ई-वे बिल सृजित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "सुसंगत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत होगी, जिसका ई-वे बिल का सृजन किया गया है और वैधता की अवधि की गणना उस समय से की जाएगी जिसका ई-वे बिल का सृजन किया गया है और प्रत्येक दिन की गणना चौबीस घंटों के रूप में की जाएगी ।

(11) उपनियम (1) के अधीन सृजित ई-वे बिल के ब्यौरों को पूर्तिकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा यदि वह सामान्य पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत है, वह अपनी ई-वे बिल के अधीन आने वाले पारेषण की स्वीकृति या अस्वीकृति की संसूचना देगा ।

(12) जहां उपनियम (11) में निर्दिष्ट प्राप्तिकर्ता सामान्य पोर्टल पर ब्यौरों को उसे उपलब्ध कराने के बहत्तर घंटों के भीतर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति से संसूचित नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त ब्यौरों को स्वीकार कर लिया है ।

(13) केन्द्रीय माल और सेवाकर नियमों या किसी अन्य राज्य के माल और सेवाकर नियमों के नियम 138 के अधीन सृजित ई-वे बिल राज्य में वैध होगा ।

(14) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी ई-वे बिल को सृजित करने की अपेक्षा नहीं होगी—

(क) जहां परिवहन किए जा रहे माल को उपाबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है ;

(ख) जहां माल का परिवहन गैर-मोटरीकृत वाहन द्वारा किया जा रहा है ;

(ग) जहां माल का परिवहन किसी पत्तन, विमानपत्तन, एयर कार्गो परिसर और भू-सीमाशुल्क केंद्र से किसी ई-लैंड कंटेनर डिपो या किसी कंटेनर फ्रेट स्टेशन को सीमाशुल्क निकासी के लिए किया जा रहा है ; और

(घ) ऐसे माल तथा राज्य के ऐसे क्षेत्र के अन्दर तथा ऐसी राशि से अधिक मूल्य के लिए, केन्द्रीय कर के मुख्य आयुक्त के परामर्श से राज्य कर आयुक्त अधिसूचित कर सकते हैं ।

स्पष्टीकरण—ई-वे बिल के सृजन और रद्द करने की सुविधा को एसएमएस के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

उपाबंध

[(देखें नियम 138(14)]

क्रम सं.	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	0101	जीवित अश्व, गधे, खच्चर और हिन्नी
2.	0102	जीवित गोकुलीय प्राणी
3.	0103	जीवित सुअर
4.	0104	जीवित भेड़ और बकरें
5.	0105	जीवित कुक्कुट, अर्थात् गैलस डोमोस्टिकस जाति के मुर्गे, बतख, हंस, टर्की और गिनि मुर्गे

6.	0106	अन्य जीवित प्राणी, जो स्तनपायी, पक्षी, कीट
7.	0201	गोकुलीय प्राणियों का मांस, ताजा और द्रुतशीतित
8.	0202	गोकुलीय प्राणी का मांस, हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
9.	0203	सुअर का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
10.	0204	भेड़ या बकरे का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
11.	0205	अश्व, गधे, खच्चर या हित्री का मांस, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
12.	0206	गोकुलीय प्राणियों, सुअर, भेड़, बकरे, अश्व, गधे, खच्चर या हित्री का खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
13.	0207	शीर्ष सं. 0105 के कुक्कुट का मांस और खाद्य अवशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
14.	0208	अन्य मांस और खाद्य अपशिष्ट, ताजा, द्रुतशीतित या हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
15.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या अन्यथा निष्कर्षित, ताजा, द्रुतशीतित, हिमशीतित (प्रशीतित से भिन्न और जो इकाईयों आधानों में रखा गया है)
16.	0209	चर्बी रहित मांस विहीन सुअर वसा और कुक्कुट वसा, अपरिष्कृत या अन्यथा निष्कर्षित, लवणित, लवण जल में रखा, शुष्कित या धूमित [आधान इकाई में रखे गए से भिन्न]
17.	0210	मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट, लवणित, लवण जल में रखा, शुष्कित या धूमित ; मांस या मांस अवशिष्ट का खाद्य आटा और अवचूर्ण, आधान इकाई में रखे गए से भिन्न
18.	3	मछली बीज, झिंगा/झिंगी बीज प्रसंस्कृत, संसाधित या हिमशीतित स्थिति में है या नहीं [अध्याय 3 के अधीन आने वाले माल और आकृष्ट 2.5 प्रतिशत से भिन्न]
19.	0301	जीवित मछली
20.	0302	मछली, हिमशीतित, जिसके अंतर्गत शीर्ष सं0 0304 के मछली कतले और मछली मांस नहीं है
21.	0304	मछली के कतले और अन्य मछली का मांस (चाहे कीमाकृत है या नहीं), ताजे या हिमशीतित
22.	0306	क्रेस्टेशिया, चाहे कवच युक्त है या नहीं, कवचयुक्त क्रेस्टेशिया जो भापन द्वारा या जल में उबालकर पकाई गई है, ताजा या हिमशीतित
23.	0307	मोलस्क, चाहे कवच युक्त है या नहीं, हिमशीतित, क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न जलीय अकशेरुकी जीवित ताजे और हिमशीतित
24.	0308	क्रेस्टेशिया और मोलस्क से भिन्न, जलीय अकशेरुकी, जीवित, ताजा या



		हिमशीतित
25.	0401	ताजे दूध और पाश्चराईज्ड दूध, जिसमें पृथक किया दूध, दूध और क्रीम, जो सांद्रित नहीं है या जिसमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरण द्रव्य नहीं है, अल्प उच्च तापक्रम दूध (यू.एच.टी) को छोड़कर
26.	0403	दही, लस्सी, छाछ
27.	0406	चना या पनीर जो इकाई आधान में रखा हुआ है, से भिन्न और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
28.	0407	पक्षियों के अंडे, ताजे, कवच युक्त, परिरक्षित या पकाए हुए
29.	0409	प्राकृतिक मधु, जो इकाई आधान में रखा हुआ है, से भिन्न है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
30.	0501	मानव केश, अक्रमिक चाहे धुले या अभिमार्जित या मानव केश के अपशिष्ट
31.	0506	सभी माल जैसे हड्डिया और सींगकरोड जो अकर्मित, निर्वसीकृत केवल निर्मित (किंतु आकार में आकर्तित), अम्लोपचारित या अजिलेटीवीकृत है, इन उत्पादों का चूर्ण और अपशिष्ट
32.	050790	सभी माल जैसे खुर अवचूर्ण सींग अवचूर्ण खुर अवचूर्ण नख और चोंच ऐंटलर्स इत्यादि
33.	0511	शुक्र जिसमें शीतित शुक्र हैं
34.	6	जीवित वृक्ष और अन्य पौधे शल्यकंध और जड़े और वैसी ही चीजें ; कर्तित पुष्प और अलंकृत प्रण समूह
35.	0701	आलू ताजे या द्रुतशीतित
36.	0702	टमाटर ताजे या द्रुतशीतित
37.	0703	प्याज, शैलक, लहसुन, लीक और अन्य लहसुनी वनस्पतियां ताजी या द्रुतशीतित
38.	0704	बंदगोभी, फूलगोभी, कोहोलवीं केल और उसी प्रकार के खाद्य ब्रेसिका, ताजे या द्रुतशीतित
39.	0705	लेट्यूस (लैक्टूकासैटाइवा) और कासनी (साइकोरियम सभी जातियां), ताजे या द्रुतशीतित
40.	0706	गाजर शलजम सलाद चुकंदर सैलैरिएक मूली और वैसी ही खाद्य जड़े ताजी या द्रुतशीतित
41.	0707	खीरा आदि या घेरकिन ताजे या द्रुतशीतित
42.	0708	कवच युक्त या कवच रहित फलीदार वनस्पतियां ताजी या द्रुतशीतित
43.	0709	अन्य वनस्पतियां ताजी या द्रुतशीतित
44.	0712	शुष्कित वनस्पतियां जो साबुत, कर्तित, कतरी गई, टूटी या चूर्णित है किंतु और निर्मित नहीं है
45.	0713	शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवचयुक्त, चाहे त्वचारहित या विपाटित हैं या नहीं
46.	0714	मेनिओक, अरारूट, संलेप, जेरुसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़ें और कंद, जिनमें स्टार्च और इनूलिन की मात्रा अधिक है ताजी या द्रुतशीतित, साबूदाने का पिथ
47.	0801	नारियल ताजा या शुष्क चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं

48.	0801	ब्राजील नट ताजा या शुष्क चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित हे या नहीं
49.	0802	अन्य नट, अन्य नट ताजे जैसे बादाम हजैल नटस या फिलबर्ट (कारिलस सभी जातियां) अखरोट, चैस्टनट (कैस्टोनिया सभी जातियां) पिस्ता, मैकाडेगिया नटस, कोला नटस (कोला सभी जातियां) अरेका नटस, चाहे कवच युक्त हो या छिलकारहित
50.	0803	केले जिसके अंतर्गत कदली भी है ताजे या शुष्कित
51.	0804	छुहार, अंजीर, अनानास, एवोकेडोज, अमरूद, आम और मैंगोस्टीन ताजे
52.	0805	नींबू फल जैसे नारंगिया मैडारिन (जिसके अंतर्गत टेन्जेरीन और सटसुमरा हे) क्लेमेंटाइन, बिलकिंग और अन्य वैसे ही निंबुकल, अंगूर जिसमें पोमीलोरा नींबू फल साइटस लिमोजम और लाइम (साइकस औरटीफोलिया, साइटस लाटीफोलिया) ताजा
53.	0806	अंगूर, शुष्कित, और किशमिश
54.	0807	खरबूजों (तरबूज सहित) और पापास (ताजे)
55.	0808	सेब, नाशपाती और क्वीस ; ताजे
56.	0809	खुबानी, चेरी, आडू (जिसके अंतर्गत शफतालू है) आलू बुखारा और स्लो, ताजे ।
57.	0810	अन्य फल ताजे जैसे स्ट्राबेरी, रसभरी, ब्लैकबेरी शहतूत और लोगनबेरी, काली सफेद लाल किशमिश तथा गूजबेरी, करोंदा, बिलबेरी, वैक्सीनियम वंश के अन्य फल, कीवी फल, ड्यूटिमंस, तेइफल, अनार, इमली ताजा । सपोटा (चीकू) शरीफा (अटा) बोर लाची ताजे
58.	0814	नींबू फल या खरबूजे (तरबूजे सहित) के छिलके ; ताजे
59.	9	बीजगुण का सभी माल
60.	0901	काफी, बीज अभर्जित
61.	0902	[चाय के अप्रसंस्कृत हरे पत्तों की चाय]
62.	0909	सौंफ, बेडियन, बड़ी सौंफ, धनिया, सफेद जीरा या काला जीरा के बीज ; जूनिपर बेरी [बीज कालिटी के]
63.	0910 11 10	ताजी अदरक प्रसंस्कृत रूप से भिन्न
64.	09103010	ताजी हल्दी प्रसंस्कृत रूप से भिन्न
65.	1001	गेहूं और मेसलिन, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है से भिन्न
66.	1002	राई, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है से भिन्न
67.	1003	जौ, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है से भिन्न
68.	1004	जई, [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है से भिन्न]
69.	1005	मक्का (कान), [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]
70.	1006	चावल, [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड

		नाम है, से भिन्न]
71.	1007	ज्वारादि का दाना, जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है
72.	1008	कुट्टू, मिलेट और कैनेरी बीज ; अन्य धान्य, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]
73.	1101	गेहूं या मेसलिन आटा, [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]
74.	1102	गेहूं या मेसलिन आटा से भिन्न धान्य आटा, उदाहरणार्थ मक्का (कार्न) आटा, राई आटा, आदि, [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]
75.	1103	धान्य दलिया, अवचूर्ण और गुटिका, जिसके अंतर्गत सूजी और दलिया है, [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]
76.	1104	धान्य दाना तुष निकाले गए
77.	1105	आलू का आटा, [जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न]
78.	1106	शीर्ष संख्या 713 के शुष्कित फलीदार वनस्पतियों (दालों) का [1106 10 10 के ग्वार आटे और 1106 10 90 के ग्वार गम परिष्कृत स्पलिट से भिन्न] और शीर्ष 0714 के साबुदाने का या जड़ों या कंदों का अथवा अध्याय 8 के उत्पादों जैसे टमारिंड, सिंघाड़ा, आमचूर आदि का आटा, [ जिसे इकाई आधानों में रखा गया है, जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है, से भिन्न ]
79.	12	बीज क्वालिटी का सभी माल
80.	1201	बीज क्वालिटी की सोयाबीन, चाहे टूटी हुई है या नहीं
81.	1202	मुंगफली, जो भर्जित या अन्यथा पकाई गई है चाहे कवचरहित या टूटी हुई या नहीं
82.	1204	अलसी, चाहे टूटी हुई है या नहीं, बीज क्वालिटी की
83.	1205	तोरिया या कोलजा बीज, चाहे टूटे हुए है या नहीं, बीज क्वालिटी की
84.	1206	बीज क्वालिटी की सूर्यमुखी के बीज, चाहे टूटे हुए हैं या नहीं
85.	1207	अन्य तिलहन और तेलोत्पादक फल (उदाहरणार्थ ताड़फल और गिरी, बिनोले, एरंड तेल बीज, तिल बीज, सरसों के बीज, कुसंभम (कार्थामस टिकटोरियस) बीज, खरबूजे के बीज, खसखस बीज, एजामस बीस, आम गुठली, नाइजेर बीज, कोकम), चाहे टूटे हुए हैं या नहीं
86.	1209	इस प्रकार के बीज फल और बीजाणु जो बोने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं ।
87.	1210	हाप कोन ताजे
88.	1211	इस प्रकार के पौधे और पौधों के भाग (जिसके अंतर्गत बीज और फल हैं), जिनका उपयोग प्रथमतः सुगंध सामग्री में, या फार्मेसी में या कीटनाशी, फफूंदी नाशी या वैसे ही प्रयोजनों के लिए किया जाता है, हिमशीतित या शुष्कित
89.	1212	लोकस्ट फलियां, समुद्री शैवाल और अन्य शैवाल, चुकन्दर और गन्ना, ताजे या द्रुतशीतित



90.	1213	धान्य पुआल और भूरी अनिर्मित चाहे काटी हुई दलित ; दावित या गुटिका के रूप में है या नहीं
91.	1214	स्वीडन का शलजम मेगोल्ड, चार की जड़ें, सूखी खास रिजका (अल्फाफा) क्लोबर सेनफोइन, हरा चारा काले ल्यूपिन वैचिज और वैसे ही हरा चारा उत्पाद चाहे वह गुटिका के रूप में है या नहीं ।
92.	1301	लाख या शल्क लाख
93.	1404 90 40	बीड़ी आवेष्टक पत्तियां (तेंदू)
94.	1701 या 1702	गन्ना, गुड़ और पामीरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़ और पामीरा चीनी
95.	1904	धान्य सामान्यतः मुदी के रूप में जाने वाला फ्लैटेंड या चूड़ा धावन जो सामान्यतः चूरा के रूप में जमा जाता है । पार्चड चावल सामान्यतः खोई के रूप में जाने वाला, पार्चड धान या चीनी या गुड़ लेपित चावल सामान्यतः मुरकी के रूप में जाने वाला ।
96.	1905	पापड़
97.	1905	रोटी (ब्रांडेड या अन्यथा) पिज्जा ब्रेड को छोड़कर
98.	2201	जलाएइरोरेटड खनिज, शुद्ध, वातित, चिकित्सीय आयनिक बैटरी, डी मिनरलाईज्ड और सीलबंद आधान में बेचे जाने वाला जल।
99.	2201	नान एल्कोहलिक टोड्डी, नीरा जिसमें डेट और पाम नीरा है
100.	22029090	टेंडर नारियल जल जो यूनिट आधान में रखा से भिन्न है और रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम रखता है
101.	2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	जलीय धारा जिसमें झींगा चारा और प्रान चारा, मुर्गी चारा और पशु चारा जिसमें घास है और स्ट्रा, दाल के एंड चुक सप्लीमेंट, सांद्र और एडीटिप, गेंहू ब्रान और बिना तेल का केक
102.	2501	लवण सभी प्रकार
103.	2835	डायलिसिसअम फॉस्फेट (डीसीपी) का प्राइज फीड ग्रेड है जो आईएस स्पेसिफिकेशन नं .54770: 2002
104.	3002	मानव रक्त और उसके घटक
105.	3006	सभी प्रकार के गर्भनिरोधक
106.	3101	सभी माल और कार्बनिक खाद [इकाई कंटेनरों में लगाए जाने के अलावा और एक पंजीकृत ब्रांड नाम देना]
107.	3304	काजल [काजल पेन्सिल स्टिक्स के अलावा], कुमकुम, बिंदी सिंदूर, अलता
108.	3825	नगरपालिका अपशिष्ट, सीवेज कीचड़, नैदानिक अपशिष्ट
109.	3926	प्लास्टिक की चूड़ियाँ
110.	4014	कंडोम और गर्भनिरोधक
111.	4401	लकड़ी या ईंधन की लकड़ी
112.	4402	लकड़ी का कोयला (शेल या अखरोट का कोयला सहित), चाहे ढका हुआ हो या नहीं
113.	4802 / 4907	न्यायिक, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, सरकार द्वारा अधिकृत सरकारी खजाने या विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले न्यायालय शुल्क टिकट

114.	4817 / 4907	डाक टिकट, जैसे लिफाफा, पोस्ट कार्ड आदि सरकार द्वारा बेची गई
115.	48 / 4907	रुपया नोट भारतीय रिज़र्व बैंक को बेचा गया है
116.	4907	चेक, खुला या पुस्तक के रूप में
117.	4901	ब्रेल पुस्तकों सहित मुद्रित पुस्तकें
118.	4902	अखबार, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं, चाहे वह सचित्र या विज्ञापन सामग्री युक्त हों या नहीं
119.	4903	बच्चों की तस्वीर, किताबें ड्राइंग या रंग
120.	4905	नक्शा और जल-विज्ञान या सभी तरह के समान चार्ट, जिनमें एटलाज़, दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब शामिल हैं, मुद्रित
121.	5001	रेशमकीट बिछाने, कोकून
122.	5002	कच्चे रेशम
123.	5003	सिल्क अपशिष्ट
124.	5101	ऊन, कार्डड या कॉम्बेड नहीं
125.	5102	हल्के या मोटे जानवरों के बाल, कार्डड या कम्बेड नहीं होते हैं
126.	5103	ऊन या अपरिवर्तनीय पशु बाल
127.	52	गांधी टोपी
128.	52	खादी यार्न
129.	5303	जूट तंतुओं, कच्चे या संसाधित होते हैं लेकिन घूमती नहीं
130.	5305	नारियल, कॉपर फाइबर
131.	63	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
132.	6703	मानव बाल, कपड़े पहने हुए, पतले, प्रक्षालित या अन्यथा काम किया
133.	6912 00 40	मिट्टी के बर्तन और मिट्टी दीपक
134.	7018	कांच की चूड़ियां (बहुमूल्य धातुओं से बनी उनको छोड़कर)
135.	8201	हाथ से संचालित या पशु संचालित कृषि करता है, अर्थात् हाथों के उपकरण, जैसे हुकुम, फावड़े, मैटैक्स, चुनता है, गैती, फावड़े और राकियां; कुल्हाड़ियों, बिल हुक और इसी तरह के हीविंग टूल्स; किसी प्रकार के सेकनेटर्स और प्रिंटर; स्कितेस, सिकल, घास का चाकू, हेज कैंची, लकड़ी की पट्टियां और कृषि, बागवानी या वानिकी में प्रयुक्त एक तरह के अन्य उपकरण।
136.	8445	अंबर चरखा
137.	8446	हथकरघा [बुनाई मशीनरी]
138.	8802 60 00	अंतरिक्ष यान (उपग्रहों सहित) और उपोर्बिटल और अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण वाहन
139.	8803	शीर्ष 8801 के माल के सामान
140.	9021	हियरिंग एड्स
141.	92	स्वदेशी हस्तनिर्मित संगीत वाद्ययंत्र

142.	9603	अंकुर और फुलबहरिजधु से बना मुघता
143.	9609	स्लेट पेंसिल और चाक की छड़ें
144.	9610 00 00	स्लेट
145.	9803	यात्री सामान
146.	किसी भी अध्याय	पूजा सामग्री, - (I) रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माला, तुलसी कनिष्ठ मलाला, पंचगव्य (चूर्ण, देसी घी, दूध और दही का मिश्रण); (ii) पवित्र धागा (आमतौर पर यगयोपवीत के रूप में जाना जाता है); (iii) लकड़ी के खादौ; (iv) पंचामृत, (V) धार्मिक संस्थानों द्वारा बेची गई विभूति, (Vi) बिना ब्रांडेड शहद [प्रस्तावित जीएसटी कुछ नहीं] (Vii) दीया के लिए बत्ती (ज) रोली (Ix) कालावा (रक्षा सूत्र) (X) चन्दन टीका
147.		घरेलू और गैर घरेलू छूट वाले श्रेणी (एनडीईसी) ग्राहकों को आपूर्ति के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
148.		पीडीएस के तहत बेचा गया मिट्टी के तेल
149.		डाक विभाग द्वारा प्रेषित डाक सामान
150.		प्राकृतिक या सुसंस्कृत मोती और कीमती या अर्ध कीमती पत्थरों; कीमती धातुओं के साथ कीमती धातुओं और धातु (अध्याय 71)
151.		आभूषण, सुनार और चांदी के सामान 'माल और अन्य लेख (अध्याय 71)
152.		मुद्रा
153.		प्रयोग किया गया व्यक्तिगत और घरेलू प्रभाव
154.		कोरल, बिना काम (0508) और काम किया कोरल (9601)

नियमों का 10. "मूल नियमावली" के वर्तमान नियम 138 के पश्चात् निम्नलिखित नये नियम अन्तःस्थापन रख दिये जायेंगे, अर्थात्—

**"138क प्रवहन के भारसाधक व्यक्ति द्वारा वहन किए जाने वाले दस्तावेज और युक्तियां -**

**(1) प्रवहन का भारसाधक व्यक्ति निम्नलिखित वहन करेगा -**

(क) यथास्थिति, बीजक या प्रदाय का बिल या परिदान चालान ; और

(ख) रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति, जो प्रवहन पर ऐसी रीति में, जो आयुक्त द्वारा अधिसूचित की जाए, जड़ी हुई है, की या तो वास्तविक रूप से या

प्रतिचित्रित ई-वे बिल या ई-वे बिल संख्या की प्रति ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1 में उसके द्वारा जारी किए गए कर बीजक को उक्त पोर्टल पर अपलोड करके सामान्य पोर्टल से बीजक निर्देश संख्या अभिप्राप्त कर सकेगा और उसे कर बीजक के बदले में उचित अधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत कर सकेगा तथा ऐसी संख्या अपलोड करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा ।

(3) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन बीजक अपलोड करता है, वहां प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग 'क' में सूचना प्ररूप जीएसटी आईएनबी-1 में दी गई सूचना के आधार पर सामान्य पोर्टल द्वारा संकलित की जाएगी ।

(4) आयुक्त, अधिसूचना द्वारा परिवाहकों के वर्ग से विशिष्ट रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति की अपेक्षा कर सकेगा और प्रवहण पर युक्त उक्त जड़वा सकेगा तथा माल के संचलन से पूर्व परिवहन पर रेडियो आवृत्ति पहचान युक्ति ई-वे बिल का प्रतिचित्रण कर सकेगा ।

(5) उपनियम (1) के खंड (ख) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां परिस्थितियों में ऐसी अपेक्षा की जाती है, वहां आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, प्रवहण भारसाधक से ई-वे बिल के बजाय, निम्नलिखित दस्तावेजों को वहन करने की अपेक्षा कर सकेगा -

(क) कर बीजक या प्रदाय का बिल या प्रवेश पत्र ; या

(ख) जहां माल प्रदाय के माध्यम से भिन्न कारणों के लिए परिवहन किया जाता है, वहां परिदान चालान ।

**"138ख दस्तावेजों और प्रवहणों का सत्यापन -**

(1) आयुक्त या इस निमित्त या उसके द्वारा सशक्त अधिकारी सभी अन्तर्राज्यीय और राज्य के भीतर माल के संचलन के लिए वास्तविक रूप में ई-वे बिल या ई-वे बिल संख्या का सत्यापन करने के लिए किसी प्रवहण को बीच में रोकने के लिए समुचित अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) आयुक्त, उन स्थानों पर, जहां माल के संचलन का सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, रेडियो आवृत्ति पहचान प्रवाचक संस्थापित कराएगा और ज्ञानों के संचलन का सत्यापन ऐसे युक्ति प्रवाचकों के माध्यम से वहां किया जाएगा, जहां ई-वे बिल उक्त युक्ति के साथ प्रतिचित्रित किया गया है ।

(3) प्रवहणों का वास्तविक सत्यापन आयुक्त द्वारा यथा प्राधिकृत उचित अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा :

परंतु कर अपवंचन पर विनिर्दिष्ट सूचना के प्राप्त हो जाने पर, विनिर्दिष्ट प्रवहण का वास्तविक सत्यापन आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् किसी अधिकारी

द्वारा भी किया जा सकता है ।

**“138ग माल का निरीक्षण और सत्यापन -**

(1) अभिवहन में माल के प्रत्येक निरीक्षण की सारांश रिपोर्ट निरीक्षण के चौबीस घंटे के भीतर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग 'क' में उचित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अभिलिखित की जाएगी और प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी 03 के भाग 'ख' में अन्तिम रिपोर्ट ऐसे निरीक्षण के तीन दिन के भीतर अभिलिखित की जाएगी ।

(2) जहां किसी प्रवहन पर परिवहन किए जा रहे माल का वास्तविक सत्यापन राज्य के भीतर या किसी अन्य राज्य में एक स्थान पर अभिवहन के दौरान किया गया है, वहां उक्त प्रवहन का और वास्तविक सत्यापन उस राज्य में तब तक दोबार नहीं किया जाएगा, जब तक कर अपवंचन से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट जानकारी तत्पश्चात् उपलब्ध नहीं करा दी जाती हैं ।

**“138घ यान को निरूद्ध किए जाने के बारे में सूचना को अपलोड करने की सुविधा -**

जहां कोई यान तीस मिनट से अधिक अवधि के लिए बीच में ही रोक लिया गया है या निरूद्ध कर दिया गया है, वहां परिवाहक सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-04 में उक्त सूचना अपलोड कर सकेगा ।



प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01

(नियम 138 देखें)

ई-वे बिल

भाग-क		
क.1	प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईन	
क.2	परिदान का स्थान	
क.3	बीजक या चालान संख्या	
क.4	बीजक या चालान की तारीख	
क.5	माल का मूल्य	
क.6	एचएसएन कोड	
क.7	परिवहन का कारण	
क.8	परिवहन दस्तावेज संख्या	
भाग-ख		
ख.	यान संख्या	

टिप्पण :

- क.6 में एच एस एन कोड पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड रुपये तक वार्षिक आवर्त रखने वाले कर दाताओं के लिए न्यूनतम दो अंकीय स्तर और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में पांच करोड रुपये से ऊपर वार्षिक आवर्त रखने वाले कर दाताओं के लिए चार अंकीय स्तर पर उपदर्शित किया जायेगा
- परिवहन दस्तावेज संख्या, माल रसीद संख्या या रेल रसीद संख्या या वायु मार्ग बिल संख्या या लदान बिल संख्या को उपदर्शित कर्ता है
- परिदान का स्थान, परिदान के स्थान का पिन कोड उपदर्शित कर्ता है
- परिवहन का कारण निम्नलिखित में से एक चुना जायेगा

कोड	वर्णन
1	प्रदाय
2	निर्यात या आयात
3	छुटपुट कम
4	एसकेडी या सीकेडी
5	अज्ञात प्राप्तिकर्ता
6	लाइन सेल्स
7	वापस विक्रय
8	प्रदर्शनी या मेले
9	अपने स्वयं उपयोग के लिए
10	अन्य

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-02

(नियम 138 देखें)

समेकित ई-वे बिल

ई-वे बिल संख्या	
ई-वे बिल संख्या	

प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03

(नियम 138ग देखें)

सत्यापन रिपोर्ट

भाग-क	
अधिकारी का नाम	
निरीक्षण का स्थान	
निरीक्षण का समय	
यान संख्या	
ई-वे बिल संख्या	
बीजक या चालान या बिल की तारीख	
बीजक या चालान या बिल की संख्या	
यान के भारसाधक व्यक्ति का नाम	
माल का वर्णन	
माल की घोषित मात्रा	
माल का घोषित मूल्य	
विसंगति का संक्षिप्त वर्णन	
क्या माल निरुद्ध किया गया था ?	
यदि नहीं, तो यान को छोड़ने की तारीख और समय	
भाग-ख	
माल की वास्तविक मात्रा	
माल का वास्तविक मूल्य	
संदेय कर	
एकीकृत कर	
केन्द्रीय कर	
राज्य या संघराज्य क्षेत्र कर	
उपकर	
संदेय शास्ति	

एकीकृत कर	
केन्द्रीय कर	
राज्य या संघराज्य क्षेत्र कर	
उपकर	
सूचना के ब्यौरे	
तारीख	
संख्या	
निष्कर्षों का सार	

**प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-04**

(नियम 138घ देखें)

**अवरोधन की रिपोर्ट**

ई-वे बिल संख्या	
अवरोधन की समीपवर्ती स्थान	
अवरोधन की अवधि	
भारसाधक अधिकारी का नाम	(यदि ज्ञात हों)
तारीख	
समय	

**प्ररूप जीएसटी आईएनवी-1**

(नियम 138क देखें)

**बीजक निर्देश संख्या का सृजन**

<b>आईआरएन:</b>		<b>तारीख:</b>	
<b>प्रदायकर्ता के ब्यौरे</b>			
जीएसटीआईएन			
विधिक नाम			
ज्यवसाय का नाम, यदि कोई हो			
पता			
बीजक का क्रम संख्यांक			
बीजक की तारीख			

	प्राप्तिकर्ता के ब्यौरे (निम्नलिखित को बिल भेजा गया है)	परेषिती के ब्यौरे (निम्नलिखित को भेजा गया है)
जीएसटीआईएन या यूआईएन, यदि उपलब्ध हों		
नाम		
पता		
राज्य (नाम और को)		
प्रदाय का प्रकार -		
बी से बी तक प्रदाय		
बी से सी तक प्रदाय		
प्रतिवर्ति प्रभार लागू होता है		
टीसीएस लागू होता है	प्रचालक का जीएसटीआईएन	
टीडीएस लागू होता है	टीडीएस प्राधिकारी का जीएसटीआईएन	
निर्यात		
विशेष आर्थिक जोन को किए गए प्रदाय		
मानित निर्यात		

क्र. सं.	मालों का वर्णन	एचएसएन	मात्रा	इकाई	मूल्य (प्रति इकाई)	कुल मूल्य	छूट यदि कोई हो	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर		राज्य या संघराज्य क्षेत्र कर		एकीकृत कर		उपकर		
									दर	रकम	दर	रकम	दर	रकम	दर	रकम	
	भाड़ा																
	बीमा																
	पैकिंग और अग्रेषण प्रभार आदि																
	कुल																
	कुल बीजक मूल्य (अंकों में)																
	कुल बीजक मूल्य (शब्दों में)																

हस्ताक्षर

हस्ताक्षकर्ता का नाम

पदनाम या प्रास्थिति।

*Handwritten mark*

(ii) प्ररूप के मूल नियमों में, -

1. 1 जुलाई, २०१७ से "प्ररूप जीएसटी ईएनआर-01" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जायेगा और रखा हुआ समझा जायेगा, अर्थात :-

**"प्ररूप जीएसटी ईएनआर-01**  
(नियम 58(1) देखें)  
**धारा 35(2) के अधीन अभ्यावेषण के लिए आवेदन**  
/केवल अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए/

1.	राज्य का नाम	
2.	(क) विधिक नाम	
	(ख) व्यवसाय का नाम, यदि कोई हो	
	(ग) स्थायी लेखा संख्यांक	
	(घ) आधार (केवल स्वत्वधारी समुत्थानों के मामले में लागू)	
3.	अभ्यावेशन का प्रकार	
	(i) भांडागार या डिपो	(ii) गोदाम
	(iii) परिवहन सेवाएं	(iv) शीतागार
4.	कारबार का गठन (कृपया सही का चयन करें)	
	(i) स्वत्वधारी या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब	(ii) भागीदारी
	(iii) कम्पनी	(iv) अन्य
5.	कारबार के प्रधान स्थान की विशिष्टियां	
(क)	पता	
	मकान सं. या फ्लैट सं.	तल सं.
	परिसर या भवन का नाम	मार्ग या गली
	शहर या नगर या मोहल्ला या ग्राम	ताल्लुक या ब्लॉक
	जिला	
	राज्य	पिन कोड
	अक्षांश	देशांतर
(ख)	सम्पर्क सूचना (ई-मेल पता और मोबाइल नं. के अधिप्रमाणन के प्रयोग किए जाएंगे)	



ई-मेल पता		टेलीफोन	एसटीडी		
मोबाइल सं.		फैक्स	एसटीडी		
(ग)	परिसरों का प्रकृति				
स्वामित्वा धीन	पट्टाकृत	किराए पर लिया गया	सहमति	सहभाज्य	अन्य (विवरण देएं करें)
6.	कारबार के अतिरिक्त स्थान के ब्यौरे - कारबार के अतिरिक्त स्थान (स्थानों), यदि कोई हों, का उल्लेख करें [वैसी ही जानकारी भरें, जैसी कि वह मद 5[क], [ख] और [ग] में है।				
7.	सहमति				
<p>में, &lt;प्ररूप में दिए गए आधार संख्या के आधार पर पूर्व में भरे गए&gt; आधार संख्या के धारक की ओर से अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अपने ब्यौरे अभिप्रास करने के लिए "माल और सेवा कर नेटवर्क" के लिए सहमति देता हूं। "माल और सेवा कर नेटवर्क" ने मुझे सूचित किया है कि पहचान सम्बन्धी सूचना का प्रयोग केवल आधार धारक की पहचान को विधिमान्य करने के लिए किया जाएगा और अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए ही उसे केन्द्रीय पहचान आंकड़ा संग्रह के साथ साझा किया जाएगा।</p>					
8. अपलोड के लिए दस्तावेजों की सूची (पहचान और पते का सबूत)					
9. सत्यापन					
<p>में, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कुछ नहीं छिपाया गया है।</p>					
स्थान:		हस्ताक्षर			
तारीख:		प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम			
कार्यालय उपयोग के लिए :					
अभ्यावेशन सं.			तारीख-		

प्ररूप जीएसटी  
आरएफडी-01  
में संशोधन

11. दिनांक 1 जुलाई, 2017 से "प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा और रखा हुआ समझा जाएगा, अर्थात्-

“प्ररूप जीएसटीआईएन-01

(नियम 89(1) देखें)

प्रतिदाय के लिए आवेदन

(आकस्मिक/अनिवासी, कराधेय व्यक्ति, कर कटौतीकर्ता, कर संग्रहकर्ता, अरजिस्ट्रीकृत व्यापक या अन्य अरजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति के लिए लागू)

1	जीएसटीआईएन/अ स्थायी आईडी:							
2	विधिक नाम:							
3	व्यवसाय का नाम, यदि कोई हो:							
4	पता:							
5	कर की अवधि: (यदि लागू हो)	<वर्ष><मास> से <वर्ष><मास> तक						
6	दावाकृत प्रतिदायी की रकम:	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
		केन्द्रीय कर						
		राज्य/संघराज्य क्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
		कुल						
7	प्रतिदाय दावे का आधार (ड्रॉप डाउन से चयन करें):	(क)	इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में अतिरिक्त अतिशेष					
		(ख)	सेवाओं का निर्यात - कर के संदाय सहित :					
		(ग)	माल/सेवाओं का निर्यात - कर के संदाय के बिना, अर्थात् संचित आईटीसी ;					
		(घ)	आदेश के कारण					
			क्र. सं.	आदेश का प्रकार	आदेश सं०	आदेश की तारीख	प्राधिकार जारी करने वाला आदेश	संदाय निर्देश संख्या, यदि कोई हो
	(i)	निर्धारण						
	(ii)	अनंतिम निर्धारण						
	(iii)	अपील						

		(iv)	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)
		(ड)	धारा 54(3) के परतुक के खंड (ii) की प्रतिलोमित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी
		(च)	विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय सहित) को किए गए प्रदायों के मद्दे
		(छ)	विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय के बिना) को किए गए प्रदायों के मद्दे
		(ज)	मानित निर्यात का प्राप्तिकर्ता
		(झ)	ऐसे प्रदाय पर, जिसका या तो पूर्णतया या भागतया उपबंध नहीं किया गया है, संदत कर और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है (अग्रिम संदाय पर संदत कर)
		(ञ)	राज्य के भीतर प्रदाय, जो तत्पश्चात् अन्तर्राज्यिक प्रदाय या विपर्ययेत (पीओएस का परिवर्तन) समझा गया है, पर संदत कर
		(ट)	कर यदि कोई हो, का अतिरिक्त संदाय
		(ठ)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

8	बैंक खाते के ब्यौरे	बैंक का नाम	का शाखा पता	का आईएफएससी	खाते का प्रकार	खाता संख्या
9	क्या स्वघोषणा, धारा 54(4) के अधीन आवेदक द्वारा फाइल की गई है, यदि लागू हो,	<p>हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/></p>				



**घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]**

मैं घोषणा करता हूँ कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अध्यक्षीन नहीं है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैंने माल या सेवाओं या दोनों पर किसी वापसी का लाभ नहीं लिया है और मैंने उन प्रदायों, जिनके सम्बन्ध में प्रतिदाय का दावा किया जाता है, पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम / प्रास्थिति

**घोषणा [धारा 54(3)(ii)]**

मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय में शून्य दर निर्धारण करने के लिए या प्रदायों को पूर्णतया छूट प्रदान करने के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर लिया गया निवेश कर प्रत्यय सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम या प्रास्थिति

**घोषणा [नियम 89(2)(च)]**

मैं घोषणा करता हूँ कि विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता ने इस प्रतिदाय दावे के अन्तर्गत आने वाले, आवेदक द्वारा संदत्त कर के इनपुट कर प्रत्यय का लाभ नहीं लिया है।

हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम या प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(छ)]

(मानित निर्यात की प्राप्तिकर्ताओं के लिए)

मैं घोषणा करता हूँ कि प्रतिदाय का केवल उन बीजकों के लिए दावा किया गया है, जिन्हें उसी कर के लिए, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, प्ररूप जीएसटीआर-2 में फाइल किए गए आवक प्रदायों के विवरण में रिपोर्ट किया गया है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम या प्रास्थिति

स्व-घोषणा [नियम 89(2)(ठ)]

मैं/हम \_\_\_\_\_ (आवेदक) जिनका जीएसटीआईएन/ स्थायी आईडी..... है, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और प्रमाणित करते हैं कि प्रतिदाय आवेदन में..... से..... तक अवधि के लिए कर, ब्याज या किसी अन्य रकम के सम्बन्ध में..... रुपये के प्रतिदाय के सम्बन्ध में ऐसे कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रांत नहीं किया गया है।

(यह घोषणा ऐसे आवेदकों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जानी अपेक्षित है जो धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं।)

10. सत्यापन :

मैं/हम <करदाता का नाम> सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कोई बात नहीं छिपाई गई है।

हम घोषणा करते हैं कि इस मद्दे कोई प्रतिदाय पूर्व में हमारे द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है।

स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

तारीख

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

**उपाबंध-1**

**विवरण-1 [नियम 89(5)]**

प्रतिदाय का प्रकार: प्रतिलोमित कर संरचना के कारण संचित आईटीसी

(रुपए में)

प्रतिलोमित कर निर्धारित माल के प्रदाय का आवर्त	ऐसे प्रतिलोमित कर निर्धारित माल के प्रदाय पर संदेय कर	समायोजित कुल आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	दावा किए जाने वाले अधिकतम प्रतिदाय की रकम [(1)-(3)-2]
1	2	3	4	5

**विवरण- 2 [नियम 89(2)(ग)]**

प्रतिदाय का प्रकार: कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(रुपए में)

क्र. सं.	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर		बीआरसी/एफआई आरसी		नामे नोट में अन्तर्वलित एकीकृत कर, यदि कोई हो	जमा पत्र में अन्तर्वलित कीकृत कर, यदि कोई हो	शुद्ध एकीकृत कर (6+9-10)
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम	सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**विवरण- 3**  
[नियम 89(2)(ख) और 89(2)(ग)]

प्रतिदाय का प्रकार:

कर संचित आईटीसी के संदाय के बिना निर्यात

क्र. सं.	बीजक के ब्यौरे			माल/सेवाएं (जी/एस)	पोत परिवहन पत्र/ निर्यात का बिल			ईजीएम के ब्यौरे		(रुपए में)	
	सं.	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड	सं.	तारीख	निर्देश सं.	तारीख	वी.आर.सी/एफ.आई.आर.सी	
										सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**विवरण- 3क [नियम 89(4)]**

प्रतिदाय का प्रकार: कर (संचित आईटीसी) के संदाय के बिना निर्यात प्रतिदाय रकम की संगणना

(रुपए में)

माल और सेवाओं के शून्य निर्धारित प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2=3)
1	2	3	4



**विवरण- 4 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ड)]**  
**विशेष आर्थिक जोन या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को प्रदाय**

प्रतिदाय का प्रकार:

विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय पर) को किए गए प्रदायों के मद्दे  
 (रुपए में)

प्राप्तिकर्ता का जीएसटी आईएन	बीजक ब्यौरे			पोत परिवहन पत्र/ निर्यात बिल/ विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक		एकीकृत कर		नामे नोट में अन्तर्वलि त एकीकृत कर, यदि कोई हो	जमा पत्र में अन्तर्वलि त एकीकृत कर, यदि कोई हो	शुद्ध एकीकृत कर (8+9-10)
	सं.	तारीख	मूल्य	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	रकम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**विवरण 5**  
**[नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ड)]**

विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता (कर के संदाय के बिना) को किए गए प्रदायों के मद्दे

(रुपए में)

क्र.सं.	बीजक के ब्यौरे			माल/ सेवाएं (जी/एस)	पोत परिवहन पत्र/ निर्यात बिल/ विशेष आर्थिक जोन द्वारा पृष्ठांकित बीजक	
	सं.	तारीख	मूल्य		सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7

विवरण-5A [नियम 89(4)]

प्रतिदाय का प्रकार: विशेष आर्थिक जोन यूनिट/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को कर के सदाय के बिना (संचित आईटीसी) को किए गए प्रदायों के मद्दे-प्रतिदाय रकम की संगणना

(रुपए में)

माल और सेवाओं के शून्य निर्धारित प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण-6 [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय का प्रकार: प्रदायों (अन्तर्राज्यीय से राज्य के भीतर और विपर्ययेन) के पीओएस में परिवर्तन के मद्दे आदेश के ब्यौरे (धारा 77(1) और (2) के अनुसरण में जारी), यदि कोई हो: आदेश की संख्या

आदेश की तारीख:

(रुपए में)

जीएसटीआईएन-यूआईएन नाम (यदि बी2सी है)	पूर्वतर राज्य के भीतर/अन्तर्राज्यीय संव्यवहार के रूप में समझे गए संव्यवहार के अन्तर्गत आने वाले बीजकों के ब्यौरे					वह संव्यवहार, जो तत्पश्चात अन्तर्राज्यीय/राज्य के भीतर प्रदाय समझे गए थे								
	बीजक के ब्यौरे				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर प्रदाय का स्थान	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ क्षेत्र कर	उपकर प्रदाय का स्थान		
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

विवरण 7 [नियम 89(2)(ट)]

प्रदाय के प्रकार :

फाइल की गई अन्तिम विवरणी के मामले में कर का अतिरिक्त सदाय, यदि कोई हो

(रुपए में)

कर की अवधि	विवरणी का एआरएन	विवरणी फाइल करने की तारीख	कराधेय मूल्य			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघराज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7

## उपाबंध-2

### प्रमाणपत्र [नियम 89(2)(ड)]

प्रमाणित किया जाता है कि <.....> कर अवधि के लिए.....गैससे (आवेदक का नाम) जीएसटीआईएन/स्थायी आईडी.....द्वारा दावा किए गए < >.....के प्रतिदाय की बाबत कर और ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति को संकलित नहीं किया गया है। यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा रखे गए/प्रस्तुत लेखा बहियों और अन्य सुसंगत अभिलेखों तथा विवरणियों की विशिष्टियों की परीक्षा पर आधारित है।

चार्टर्ड एकाउन्टेंट/लागत लेखापाल के हस्ताक्षर

नाम:

सदस्यता संख्या:

स्थान:

तारीख:

यह प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा करने वाले आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है।

अनुदेश-

1. प्रयुक्त शब्द:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| (a) बी से सी:     | रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को |
| (b) ईजीएम:        | निर्धारित सामान्य माल सूची                       |
| (c) जीएसटीआईएन:   | नाम और सेवा कर पहचान संख्या                      |
| (d) आईजीएसटी:     | एकीकृत माल और सेवा कर                            |
| (e) आईटीसी:       | इनपुट कर प्रत्यय                                 |
| (f) पीओएस:        | प्रदाय का स्थान (सम्बन्धित राज्य)                |
| (g) एसईजेड:       | विशेष आर्थिक जोन                                 |
| (h) अस्थायी आईडी: | अस्थायी पहचान संख्या                             |
| (i) यूआईएन:       | विशिष्ट पहचान संख्या                             |

2. इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध अनिश्चित रकम के प्रतिदाय का विवरणी के माध्यम से या आवेदन फाइल करके दावा किया जा सकता है।

3. नामे प्रविष्टि आवेदन फाइल करने के समय इलेक्ट्रॉनिक जमा या नकद खाते में की जाएगी।

4. प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02 में अभिस्वीकृति जारी की जाएगी, यदि आवेदन सभी बाबत पूर्ण पाया जाता है।


5. आईजीएसटी के संदाय सहित माल के निर्यात पर प्रतिदाय के दावे पर इस आवेदन के माध्यम से प्रक्रिया नहीं की जाएगी ।
6. बैंक खाते के ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण आंकड़े के अनुसार होने चाहिए । बैंक ब्यौरों में कोई परिवर्तन आवेदन में कोट करने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में पहले संशोधित किया जाएगा ।
7. घोषणा मामलों में वहां फाइल की जाएगी, जहां पर ये अपेक्षित हो ।
8. 'शुद्ध निवेश कर प्रत्यय' से विवरण 1 के प्रयोजन के लिए सुसंगत अवधि के दौरान इनपुट पर किए गए इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है और इसमें विवरण 3क और 5क के प्रयोजन के लिए भी इनपुट सेवाओं पर आईटीसी सम्मिलित होगी ।
9. 'समायोजित कुल आवर्त' से सुसंगत अवधि के दौरान शून्य मूल्य निर्धारित माल प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित किसी राज्य या किसी संघराज्य क्षेत्र में आवर्त अभिप्रेत है ।
10. विवरण 1 के प्रयोजन के लिए प्रतिव्यय दावा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 में रिपोर्ट किए गए प्रदायों पर आधारित होगा ।
11. बीआरसी या एफआईआरसी ब्यौरे वहां अनिवार्य होंगे, जहां प्रतिदाय का पोत परिवहन पत्र सेवा निर्यात के ब्यौरों के प्रति दावा किया जाता है और ईजीएम माल के निर्यात के मामले में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा ।
12. जहां बीजक के ब्यौरों में संशोधन किया जाता है (निर्यात सहित), वहां प्रतिदाय संशोधित मूल्य के आधार पर संगणना के अनुसार अनुज्ञात दिए जाएंगे ।
13. कर के संदाय के बिना किए गए निर्यात के ब्यौरे विवरण 3 में रिपोर्ट किए जाएंगे ।
14. कर के संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोन यूनिट या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदायों के मामले में दावा किए जाने वाले प्रतिदाय की उपलब्धता को नियम 89(4) में विहित फॉर्मूला के अनुसार परिकलित किया जाएगा ।
15. 'माल और सेवाओं के शून्य मूल्य निर्धारित प्रदाय का आवर्त' का वही अर्थ होगा जो उसका नियम 89(4) में परिभाषित है ।

**प्ररूप जीएसटी 12. दिनांक 1 जुलाई, 2017 से "प्ररूप जीएसटी टीआरएन-2" में,-**

**टीआरएन-2**

**में संशोधन**

- (क) क्रम संख्यांक 4 में, "नियुक्ति की तारीख" शब्दों के स्थान पर "नियत तारीख" शब्द रखे जाएंगे और रखे हुए समझे जाएंगे ;
- (ख) क्रम संख्यांक 5 में, "पर प्रत्यय" शब्दों के स्थान पर "का प्रत्यय" शब्द रखे जाएंगे और रखे हुए समझे जाएंगे ।

  
 (राधा रतूड़ी)  
 प्रमुख सचिव



सं० 792/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनाक।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की जिला धीरद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित की कि इसे असाधारण मजदूरी में प्रकाशित करवाये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अखिल रूप से उपलब्ध करा दें।
- 3- विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन0आई0सी0
- 6- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,



(हीरा सिंह वरोडा)

अनु सचिव



In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 792/2017/ 9(120)/ XXVII(8)/2017, dated 10 ~~September~~, 2017 for general information. *October*

**Government of Uttarakhand**  
**Finance Section-8**  
**No 792/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017**  
**Dehradun :: Dated :: 10 ~~September~~, 2017**  
*October*

**Notification**

In exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor is pleased to make the following rules to further amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

**The Uttarakhand Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2017**

**Short title and Commencement** 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Goods and Services Tax (Sixth Amendment) Rules, 2017.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

**Amendment in Rule 119** 2. In Rule 119 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the principal rules)-

(a) in the heading "Declaration of stock held by a principal and agent", after "principal and" the words "job-worker or" shall be inserted;

(b) after the words "the provisions of", the words and figures "section 141 or" shall be inserted.

**Amendment in Rule 122** 3. In the "Principal Rules", for the existing Rule 122 set out in column-1, the rule set out in column-2 shall be substituted; namely-

Column-1 Existing Rule	Column-2 Hereby substituted Rule
<p><b>122. Constitution of the Authority.-</b>                      The Authority shall consist of,-                      (a) a Chairman who holds or has held a post equivalent in rank to a Secretary to the Government of India; and                      (b) four Technical Members who are or have</p>	<p><b>122. Constitution of the Authority.-</b>                      The constitution of the Authority shall be in accordance with the provisions of rule 122 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.</p>

been Commissioners of State tax or central tax or have held an equivalent post under the existing law,

to be nominated by the Council.

**Amendment in Rule 123** 4. In the "Principal Rules", for the existing Rule 123 set out in column-1, the rule set out in column-2 shall be substituted; namely-

<b>Column-1 Existing Rule</b>	<b>Column-2 Hereby substituted Rule</b>
<p><b>123. Constitution of the Standing Committee and Screening Committees.-</b>            (1) The Council may constitute a Standing Committee on Anti-profiteering which shall consist of such officers of the State Government and Central Government as may be nominated by it.</p> <p>(2) A State level Screening Committee shall be constituted in each State by the State Governments which shall consist of-</p> <p>(a) one officer of the State Government, to be nominated by the Commissioner, and</p> <p>(b) one officer of the Central Government, to be nominated by the Chief Commissioner.</p>	<p><b>123. Constitution of the Standing Committee and Screening Committee.-</b>            The constitution of the Standing Committee and Screening Committee shall be in accordance with the provisions of rule 123 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017</p>

**Amendment in Rule 124** 5. In the "Principal Rules", for the existing Rule 124 set out in column-1, the rule set out in column-2 shall be substituted; namely-

<b>Column-1 Existing Rule</b>	<b>Column-2 Hereby substituted Rule</b>
<p><b>124. Appointment, salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairman and Members of the Authority:-</b>            (1) The Chairman and Members of the Authority shall be appointed by the Central Government on the recommendations of a Selection Committee to be constituted for the purpose by the Council</p> <p>(2) The Chairman shall be paid a monthly salary of Rs. 2,25,000 (fixed) and other allowances and benefits as are admissible to a Central Government officer holding posts carrying the same pay:</p> <p>Provided that where a retired officer is selected as a Chairman, he shall be paid a monthly salary of Rs. 2,25,000 reduced by the amount of pension.</p>	<p><b>124. Appointment, salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairman and Members of the Authority.-</b>            The appointment, salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairman and Members of the Authority shall be in accordance with the provisions of rule 124 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.</p>

(3) The Technical Member shall be paid a monthly salary of Rs. 2,05,400 (fixed) and shall be entitled to draw allowances as are admissible to a Government of India officer holding Group 'A' post carrying the same pay:

Provided that where a retired officer is selected as a Technical Member, he shall be paid a monthly salary of Rs. 2,05,400 reduced by the amount of pension.

(4) The Chairman shall hold office for a term of two years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment:

Provided that person shall not be selected as the Chairman, if he has attained the age of sixty-two years.

(5) The Technical Member of the Authority shall hold office for a term of two years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier and shall be eligible for reappointment:

Provided that person shall not be selected as a Technical Member if he has attained the age of sixty-two years.

**Amendment in Rule 125** 6. In the "Principal Rules", for the existing Rule 125 set out in column-1, the rule set out in column-2 shall be substituted; namely-

<b>Column-1 Existing Rule</b>	<b>Column-2 Hereby substituted Rule</b>
<b>125. Secretary to the Authority.-</b> The Additional Director General of Safeguards under the Board shall be the Secretary to the Authority.	<b>125. Secretary to the Authority.-</b> The Secretary to the Authority shall be in accordance with the provisions of rule 125 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017

**Amendment in Rule 126** 7. In the "Principal Rules", for the existing Rule 126 set out in column-1, the rule set out in column-2 shall be substituted; namely-

<b>Column-1 Existing Rule</b>	<b>Column-2 Hereby substituted Rule</b>
<b>126. Power to determine the methodology and procedure.-</b> The Authority may determine the methodology and procedure for determination as to whether the reduction in rate of tax on the supply of goods or services or the benefit of input tax	<b>126. Power to determine the methodology and procedure.-</b> The power to determine the methodology and procedure of the Authority shall be in accordance with the provisions of rule 126 of the Central Goods and Services Tax Rules,

credit has been passed on by the registered person to the recipient by way of commensurate reduction in prices.	2017.”;
---	---------

**Amendment in Rule 137** 8. In the “Principal Rules”, for the existing Rule 137 set out in column-1, the rule set out in column-2 shall be substituted; namely-

<b>Column-1 Existing Rule</b>	<b>Column-2 Hereby substituted Rule</b>
<p><b>137. Tenure of Authority.-</b> The Authority shall cease to exist after the expiry of two years from the date on which the Chairman enters upon his office unless the Council recommends otherwise.</p> <p><b>Explanation.-</b> For the purposes of this Chapter,</p> <p>(a) “Authority” means the National Anti-profiteering Authority constituted under rule 122;</p> <p>(b) “Committee” means the Standing Committee on Anti-profiteering constituted by the Council in terms of sub-rule (1) of rule 123 of these rules;</p> <p>(c) “interested party” includes-</p> <p style="margin-left: 40px;">a. suppliers of goods or services under the proceedings; and</p> <p style="margin-left: 40px;">b. recipients of goods or services under the proceedings;</p> <p>(d) “Screening Committee” means the State level Screening Committee constituted in terms of sub-rule (2) of rule 123 of these rules.</p>	<p><b>137. Tenure of Authority.-</b> The tenure of the Authority shall be in accordance with the provisions of rule 137 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017</p>

**Amendment in Rule 138** 9. In the “Principal Rules”, for the existing Rule 138 set out in column 1, the rule set out in column-2 shall be substituted; namely-

<b>Column-1 Existing Rule</b>
<p><b>138. E-way rule.-</b> Till such time as an E-way bill system is developed and approved by the Council, the Government may, by notification, specify the documents that the person in charge of a conveyance carrying any consignment of goods shall carry while the goods are in movement or in transit storage.</p>

**Column-2**

**Hereby substituted Rule**

**138. Information to be furnished prior to commencement of movement of goods and generation of e-way bill.-**

(1) Every registered person who causes movement of goods of consignment value exceeding fifty thousand rupees—

(i) in relation to a supply; or

(ii) for reasons other than supply; or

(iii) due to inward supply from an unregistered person,

shall, before commencement of such movement, furnish information relating to the said goods in **Part A** of **FORM GST EWB-01**, electronically, on the common portal.

(2) Where the goods are transported by the registered person as a consignor or the recipient of supply as the consignee, whether in his own conveyance or a hired one or by railways or by air or by vessel, the said person or the recipient may generate the e-way bill in **FORM GST EWB-01** electronically on the common portal after furnishing information in **Part B** of **FORM GST EWB-01**.

(3) Where the e-way bill is not generated under sub-rule (2) and the goods are handed over to a transporter for transportation by road, the registered person shall furnish the information relating to the transporter in **Part B** of **FORM GST EWB-01** on the common portal and the e-way bill shall be generated by the transporter on the said portal on the basis of the information furnished by the registered person in **Part A** of **FORM GST EWB-01**:

Provided that the registered person or, as the case may be, the transporter may, at his option, generate and carry the e-way bill even if the value of the consignment is less than fifty thousand rupees:

Provided further that where the movement is caused by an unregistered person either in his own conveyance or a hired one or through a transporter, he or the transporter may, at their option, generate the e-way bill in **FORM GST EWB-01** on the common portal in the manner specified in this rule:

Provided also that where the goods are transported for a distance of less than ten kilometres within the State or Union territory from the place of business of the consignor to the place of business of the transporter for further transportation, the supplier or the transporter may not furnish the details of conveyance in **Part B** of **FORM GST EWB-01**.

**Explanation 1.**— For the purposes of this sub-rule, where the goods are supplied by an unregistered supplier to a recipient who is registered, the movement shall be said to be caused by such recipient if the recipient is known at the time of commencement of the movement of goods.

**Explanation 2.**— The information in **Part A** of **FORM GST EWB-01** shall be furnished by the consignor or the recipient of the supply as consignee where the goods are transported by railways or by air or by vessel.

(4) Upon generation of the e-way bill on the common portal, a unique e-way bill number (EBN) shall be made available to the supplier, the recipient and the transporter on the



common portal.

(5) Any transporter transferring goods from one conveyance to another in the course of transit shall, before such transfer and further movement of goods, update the details of conveyance in the e-way bill on the common portal in **FORM GST EWB-01**:

Provided that where the goods are transported for a distance of less than ten kilometres within the State or Union territory from the place of business of the transporter finally to the place of business of the consignee, the details of conveyance may not be updated in the e-way bill.

(6) After e-way bill has been generated in accordance with the provisions of sub-rule (1), where multiple consignments are intended to be transported in one conveyance, the transporter may indicate the serial number of e-way bills generated in respect of each such consignment electronically on the common portal and a consolidated e-way bill in **FORM GST EWB-02** may be generated by him on the said common portal prior to the movement of goods.

(7) Where the consignor or the consignee has not generated **FORM GST EWB-01** in accordance with the provisions of sub-rule (1) and the value of goods carried in the conveyance is more than fifty thousand rupees, the transporter shall generate **FORM GST EWB-01** on the basis of invoice or bill of supply or delivery challan, as the case may be, and may also generate a consolidated e-way bill in **FORM GST EWB-02** on the common portal prior to the movement of goods.

(8) The information furnished in **Part A** of **FORM GST EWB-01** shall be made available to the registered supplier on the common portal who may utilize the same for furnishing details in **FORM GSTR-1**:

Provided that when the information has been furnished by an unregistered supplier in **FORM GST EWB-01**, he shall be informed electronically, if the mobile number or the e-mail is available.

(9) Where an e-way bill has been generated under this rule, but goods are either not transported or are not transported as per the details furnished in the e-way bill, the e-way bill may be cancelled electronically on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, within 24 hours of generation of the e-way bill:

Provided that an e-way bill cannot be cancelled if it has been verified in transit in accordance with the provisions of rule 138B.

(10) An e-way bill or a consolidated e-way bill generated under this rule shall be valid for the period as mentioned in column (3) of the Table below from the relevant date, for the distance the goods have to be transported, as mentioned in column (2) of the said Table:

**Table**

<b>Sr. no.</b>	<b>Distance</b>	<b>Validity period</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Upto 100 km	One day
2.	For every 100 km or part thereof thereafter	One additional day

Provided that the Commissioner may, by notification, extend the validity period of e-way bill for certain categories of goods as may be specified therein:

Provided further that where, under circumstances of an exceptional nature, the goods cannot be transported within the validity period of the e-way bill, the transporter may generate another e-way bill after updating the details in **Part B of FORM GSTEWB-01**.

**Explanation.**—For the purposes of this rule, the “relevant date” shall mean the date on which the e-way bill has been generated and the period of validity shall be counted from the time at which the e-way bill has been generated and each day shall be counted as twenty-four hours.

(11) The details of e-way bill generated under sub-rule (1) shall be made available to the recipient, if registered, on the common portal, who shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill.

(12) Where the recipient referred to in sub-rule (11) does not communicate his acceptance or rejection within seventy two hours of the details being made available to him on the common portal, it shall be deemed that he has accepted the said details.

(13) The e-way bill generated under rule 138 of the Central Goods and Services Tax Rules or Goods and Services Tax Rules of any other State shall be valid in the State .

(14) Notwithstanding anything contained in this rule, no e-way bill is required to be generated—

(a) where the goods being transported are specified in Annexure;

(b) where the goods are being transported by a non-motorised conveyance;

(c) where the goods are being transported from the port, airport, aircargo complex and land customs station to an inland container depot or a container freight station for clearance by Customs; and

(d) in respect of movement of such goods and within such areas in a State and for values exceeding such amount as the Commissioner of State tax, may notify in consultation with the Chief Commissioner of Central tax.

**Explanation.** - The facility of generation and cancellation of e-way bill may also be made available through SMS.

**ANNEXURE**  
[(See rule 138 (14)]

S. No.	Chapter or Heading or Sub-heading or Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	0101	Live asses, mules and hinnies
2.	0102	Live bovine animals
3.	0103	Live swine
4.	0104	Live sheep and goats





5.	0105	Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls.
6.	0106	Other live animal such as Mammals, Birds, Insects
7.	0201	Meat of bovine animals, fresh and chilled.
8.	0202	Meat of bovine animals frozen [other than frozen and put up in unit container]
9.	0203	Meat of swine, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
10.	0204	Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
11.	0205	Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
12.	0206	Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
13.	0207	Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
14.	0208	Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
15.	0209	Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled or frozen [other than frozen and put up in unit container]
16.	0209	Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, salted, in brine, dried or smoked [other than put up in unit containers]
17.	0210	Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal, other than put up in unit containers
18.	3	Fish seeds, prawn / shrimp seeds whether or not processed, cured or in frozen state [other than goods falling under Chapter 3 and attracting 2.5%]
19.	0301	Live fish.
20.	0302	Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304
21.	0304	Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh or chilled.
22.	0306	Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh or chilled; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water live, fresh or chilled.
23.	0307	Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled; aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh or chilled.
24.	0308	Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh or chilled.
25.	0401	Fresh milk and pasteurised milk, including separated milk, milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening

		matter, excluding Ultra High Temperature (UHT) milk
26.	0403	Curd; Lassi; Butter milk
27.	0406	Chena or paneer, other than put up in unit containers and bearing a registered brand name;
28.	0407	Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked
29.	0409	Natural honey, other than put up in unit container and bearing a registered brand name
30.	0501	Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair
31.	0506	All goods i.e. Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or gelatinised; powder and waste of these products
32.	0507 90	All goods i.e. Hoof meal; horn meal; hooves, claws, nails and beaks; antlers; etc.
33.	0511	Semen including frozen semen
34.	6	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
35.	0701	Potatoes, fresh or chilled.
36.	0702	Tomatoes, fresh or chilled.
37.	0703	Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled.
38.	0704	Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.
39.	0705	Lettuce ( <i>Lactuca sativa</i> ) and chicory ( <i>Cichorium</i> spp.), fresh or chilled.
40.	0706	Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled.
41.	0707	Cucumbers and gherkins, fresh or chilled.
42.	0708	Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.
43.	0709	Other vegetables, fresh or chilled.
44.	0712	Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared.
45.	0713	Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split.
46.	0714	Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh or chilled; sago pith.
47.	0801	Coconuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
48.	0801	Brazil nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
49.	0802	Other nuts, Other nuts, fresh such as Almonds, Hazelnuts or filberts ( <i>Corylus</i> spp.), walnuts, Chestnuts ( <i>Castanea</i> spp.), Pistachios, Macadamia nuts, Kola nuts ( <i>Cola</i> spp.), Areca nuts, fresh, whether or not shelled or peeled
50.	0803	Bananas, including plantains, fresh or dried
51.	0804	Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh.

52.	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids. Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresh.
53.	0806	Grapes, fresh
54.	0807	Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh.
55.	0808	Apples, pears and quinces, fresh.
56.	0809	Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.
57.	0810	Other fruit such as strawberries, raspberries, blackberries, mulberries and loganberries, black, white or red currants and gooseberries, cranberries, bilberries and other fruits of the genus vaccinium, Kiwi fruit, Durians, Persimmons, Pomegranates, Tamarind, Sapota (chico), Custard-apple (ata), Bore, Lichi, fresh.
58.	0814	Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh.
59.	9	All goods of seed quality
60.	0901	Coffee beans, not roasted
61.	0902	Unprocessed green leaves of tea
62.	0909	Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; juniper berries [of seed quality]
63.	0910 11 10	Fresh ginger, other than in processed form
64.	0910 30 10	Fresh turmeric, other than in processed form
65.	1001	Wheat and meslin [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
66.	1002	Rye [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
67.	1003	Barley [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
68.	1004	Oats [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
69.	1005	Maize (corn) [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
70.	1006	Rice [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
71.	1007	Grain sorghum [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
72.	1008	Buckwheat, millet and canary seed; other cereals such as Jawar, Bajra, Ragi] [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
73.	1101	Wheat or meslin flour [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name].
74.	1102	Cereal flours other than of wheat or meslin, [maize (corn) flour, Rye flour, etc.] [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]



75.	1103	Cereal groats, meal and pellets [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
76.	1104	Cereal grains hulled
77.	1105	Flour, of potatoes [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
78.	1106	Flour, of the dried leguminous vegetables of heading 0713 (pulses) [other than guar meal 1106 10 10 and guar gum refined split 1106 10 90], of sago or of roots or tubers of heading 0714 or of the products of Chapter 8 i.e. of tamarind, of singoda, mango flour, etc. [other than those put up in unit container and bearing a registered brand name]
79.	12	All goods of seed quality
80.	1201	Soya beans, whether or not broken, of seed quality.
81.	1202	Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken, of seed quality.
82.	1204	Linseed, whether or not broken, of seed quality.
83.	1205	Rape or colza seeds, whether or not broken, of seed quality.
84.	1206	Sunflower seeds, whether or not broken, of seed quality.
85.	1207	Other oil seeds and oleaginous fruits (i.e. Palm nuts and kernels, cotton seeds, Castor oil seeds, Sesamum seeds, Mustard seeds, Safflower (Carthamustinctorius) seeds, Melon seeds, Poppy seeds, Ajams, Mango kernel, Niger seed, Kokam) whether or not broken, of seed quality.
86.	1209	Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing.
87.	1210	Hop cones, fresh.
88.	1211	Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purpose, fresh or chilled.
89.	1212	Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh or chilled.
90.	1213	Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets
91.	1214	Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets.
92.	1301	Lac and Shellac
93.	1404 90 40	Betel leaves
94.	1701 or 1702	Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur) and Palmyra Jaggery
95.	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki
96.	1905	Pappad
97.	1905	Bread (branded or otherwise), <u>except</u> pizza bread
98.	2201	Water [other than aerated, mineral, purified, distilled, medicinal, ionic, battery, de-mineralized and water sold in sealed container]

99.	2201	Non-alcoholic Toddy, Neera including date and palm neera
100.	2202 90 90	Tender coconut water other than put up in unit container and bearing a registered brand name
101.	2302, 2304, 2305, 2306, 2308, 2309	Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and husk of pulses, concentrates and additives, wheat bran and de-oiled cake
102.	2501	Salt, all types
103.	2835	Dicalcium phosphate (DCP) of animal feed grade conforming to IS specification No.5470 : 2002
104.	3002	Human Blood and its components
105.	3006	All types of contraceptives
106.	3101	All goods and organic manure [other than put up in unit containers and bearing a registered brand name]
107.	3304	Kajal [other than kajal pencil sticks], Kumkum, Bindi, Sindur, Alta
108.	3825	Municipal waste, sewage sludge, clinical waste
109.	3926	Plastic bangles
110.	4014	Condoms and contraceptives
111.	4401	Firewood or fuel wood
112.	4402	Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated
113.	4802 / 4907	Judicial, Non-judicial stamp papers, Court fee stamps when sold by the Government Treasuries or Vendors authorised by the Government
114.	4817 / 4907	Postal items, like envelope, Post card etc., sold by Government
115.	48 / 4907	Rupee notes when sold to the Reserve Bank of India
116.	4907	Cheques, loose or in book form
117.	4901	Printed books, including Braille books
118.	4902	Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or containing advertising material
119.	4903	Children's picture, drawing or colouring books
120.	4905	Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed
121.	5001	Silkworm laying, cocoon
122.	5002	Raw silk
123.	5003	Silk waste
124.	5101	Wool, not carded or combed
125.	5102	Fine or coarse animal hair, not carded or combed
126.	5103	Waste of wool or of fine or coarse animal hair
127.	52	Gandhi Topi
128.	52	Khadi yarn
129.	5303	Jute fibres, raw or processed but not spun
130.	5305	Coconut, coir fibre
131.	63	Indian National Flag
132.	6703	Human hair, dressed, thinned, bleached or otherwise worked
133.	6912 00 40	Earthen pot and clay lamps

134.	7018	Glass bangles (except those made from precious metals)
135.	8201	Agricultural implements manually operated or animal driven i.e. Hand tools, such as spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, bill hooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry.
136.	8445	Amber charkha
137.	8446	Handloom [weaving machinery]
138.	8802 60 00	Spacecraft (including satellites) and suborbital and spacecraft launch vehicles
139.	8803	Parts of goods of heading 8801
140.	9021	Hearing aids
141.	92	Indigenous handmade musical instruments
142.	9603	Muddhas made of sarkanda and phoolbaharijhadoo
143.	9609	Slate pencils and chalk sticks
144.	9610 00 00	Slates
145.	9803	Passenger baggage
146.	Any chapter	Puja samagri namely,- (i) Rudraksha, rudraksha mala, tulsikanthi mala, panchgavya (mixture of cowdung, desi ghee, milk and curd); (ii) Sacred thread (commonly known as yagnopavit); (iii) Wooden khadau; (iv) Panchamrit, (v) Vibhuti sold by religious institutions. (vi) Unbranded honey [proposed GST Nil] (vii) Wick for diya. (viii) Roli (ix) Kalava (Raksha sutra) (x) Chandantika
147.		Liquefied petroleum gas for supply to household and non domestic exempted category (NDEC) customers
148.		Kerosene oil sold under PDS
149.		Postal baggage transported by Department of Posts
150.		Natural or cultured pearls and precious or semi-precious stones; precious metals and metals clad with precious metal (Chapter 71)
151.		Jewellery, goldsmiths' and silversmiths' wares and other articles (Chapter 71)
152.		Currency
153.		Used personal and household effects
154.		Coral, unworked (0508) and worked coral (9601)

**insertion of  
Rules**

10. After the existing Rule 138 of the "Principal Rule", the following Rules shall be substituted; namely-

**138A. Documents and devices to be carried by a person-in-charge of a conveyance.-**

(1) The person in charge of a conveyance shall carry

(a) the invoice or bill of supply or delivery challan, as the case may be; and

(b) a copy of the e-way bill or the e-way bill number, either physically or mapped to a Radio Frequency Identification Device embedded on to the conveyance in such manner as may be notified by the Commissioner.

(2) A registered person may obtain an Invoice Reference Number from the common portal by uploading, on the said portal, a tax invoice issued by him in **FORM GST INV-1** and produce the same for verification by the proper officer in lieu of the tax invoice and such number shall be valid for a period of thirty days from the date of uploading.

(3) Where the registered person uploads the invoice under sub-rule (2), the information in Part A of **FORM GST EWB-01** shall be auto-populated by the common portal on the basis of the information furnished in **FORM GST INV-1**.

(4) The Commissioner may, by notification, require a class of transporters to obtain a unique Radio Frequency Identification Device and get the said device embedded on to the conveyance and map the e-way bill to the Radio Frequency Identification Device prior to the movement of goods.

(5) Notwithstanding anything contained clause (b) of sub-rule (1), where circumstances so warrant, the Commissioner may, by notification, require the person-in-charge of the conveyance to carry the following documents instead of the e-way bill-

(a) tax invoice or bill of supply or bill of entry; or

(b) a delivery challan, where the goods are transported for reasons other than by way of supply.

**138B. Verification of documents and conveyances.-**

(1) The Commissioner or an officer empowered by him in this behalf may authorise the proper officer to intercept any conveyance to verify the e-way bill or the e-way bill number in physical form for all inter-State and intra-State movement of goods.

(2) The Commissioner shall get Radio Frequency Identification Device readers installed at places where the verification of

movement of goods is required to be carried out and verification of movement of vehicles shall be done through such device readers where the e-way bill has been mapped with the said device.

(3) The physical verification of conveyances shall be carried out by the proper officer as authorised by the Commissioner or an officer empowered by him in this behalf:

Provided that on receipt of specific information on evasion of tax, physical verification of a specific conveyance can also be carried out by any officer after obtaining necessary approval of the Commissioner or an officer authorised by him in this behalf.

### **138C. Inspection and verification of goods.-**

(1) A summary report of every inspection of goods in transit shall be recorded online by the proper officer in **Part A** of **FORM GST EWB-03** within twenty four hours of inspection and the final report in **Part B** of **FORM GST EWB-03** shall be recorded within three days of such inspection.

(2) Where the physical verification of goods being transported on any conveyance has been done during transit at one place within the State or in any other State, no further physical verification of the said conveyance shall be carried out again in the State, unless a specific information relating to evasion of tax is made available subsequently.

### **138D. Facility for uploading information regarding detention of vehicle.-**

Where a vehicle has been intercepted and detained for a period exceeding thirty minutes, the transporter may upload the said information in FORM GST EWB-04 on the common portal.

### **FORM GST EWB-01**

*(See Rule 138)*

#### **E-Way Bill**

<b>PART-A</b>		
A.1	GSTIN of Recipient	
A.2	Place of Delivery	
A.3	Invoice or Challan Number	
A.4	Invoice or Challan Date	
A.5	Value of Goods	
A.6	HSN Code	



A.7	Reason for Transportation	
A.8	Transport Document Number	
<b>PART-B</b>		
B.	Vehicle Number	

**Notes:**

1. HSN Code in column A.6 shall be indicated at minimum two digit level for taxpayers having annual turnover upto five crore rupees in the preceding financial year and at four digit level for taxpayers having annual turnover above five crore rupees in the preceding financial year.
2. Transport Document number indicates Goods Receipt Number or Railway Receipt Number or Airway Bill Number or Bill of Lading Number.
3. Place of Delivery shall indicate the PIN Code of place of delivery.
4. Reason for Transportation shall be chosen from one of the following:

Code	Description
10	Supply
11	Export or Import
12	Job Work
13	SKD or CKD
14	Recipient not known
15	Line Sales
16	Sales Return
17	Exhibition or fairs
18	For own use
0	Others


**FORM GST EWB-02**  
(See Rule 138)  
**Consolidated E-Way Bill**

Number of E-Way Bills	
E-Way Bill Number	



**FORM GST EWB-03***(See Rule 138C)***Verification Report**

<b>Part A</b>	
Name of the Officer	
Place of inspection	
Time of inspection	
Vehicle Number	
E-Way Bill Number	
Invoice or Challan or Bill Date	
Invoice or Challan or Bill Number	
Name of person in-charge of vehicle	
Description of goods	
Declared quantity of goods	
Declared value of goods	
Brief description of the discrepancy	
Whether goods were detained?	
If not, date and time of release of vehicle	
<b>Part B</b>	
Actual quantity of goods	
Actual value of the Goods	
Tax payable	
Integrated tax	
Central tax	
State or UT tax	
Cess	
Penalty payable	
Integrated tax	
Central tax	
State or UT tax	
Cess	
Details of Notice	
Date	
Number	
Summary of findings	



**FORM GST EWB-04**  
*(See Rule 138D)*

**Report of detention**

E-Way Bill Number	
Approximate Location of detention	
Period of detention	
Name of Officer in-charge	(if known)
Date	
Time	



**FORM GST INV - 1**

*(See rule 138A)*

**Generation of Invoice Reference Number**

<b>IRN:</b>		<b>Date:</b>
<b>Details of Supplier</b>		
GSTIN		
Legal Name		
Trade name, if any		
Address		
Serial No. of Invoice		
Date of Invoice		
	<b>Details of Recipient (Billed to)</b>	<b>Details of Consignee (Shipped to)</b>
GSTIN or UIN, if available		
Name		
Address		
State (name and code)		
<b>Type of supply -</b>		
<input type="checkbox"/>	B to B supply	
<input type="checkbox"/>	B to C supply	
<input type="checkbox"/>	Attracts Reverse Charge	
<input type="checkbox"/>	Attracts TCS	GSTIN of operator
<input type="checkbox"/>	Attracts TDS	GSTIN of TDS Authority
<input type="checkbox"/>	Export	
<input type="checkbox"/>	Supplies made to SEZ	
<input type="checkbox"/>	Deemed export	

Sr. No.	Description of Goods	HSN	Qty.	Unit	Price (per unit)	Total value	Discount, if any	Taxable value	Central tax		State or UT tax		Integrated tax		Cess	
									Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.
	Freight															
	Insurance															
	Packing and Forwarding Charges etc.															
<b>Total</b>																
Total Invoice Value (In figure)																
Total Invoice Value (In Words)																

Signature  
Name of the Signatory

Designation or Status".



**Amendment in  
FORM GST  
ENR-01**

11. From the 1<sup>st</sup> July of 2017, for "FORM GST ENR-01", the following Form shall be substituted and shall be deemed to be have been substituted, namely:-

**"Form GST ENR-01**  
*[See Rule 58(1)]*  
**Application for Enrolment under section 35 (2)**  
*[only for un-registered persons]*

1.	Name of the State		
2.	(a) Legal name		
	(b) Trade Name, if any		
	(c) PAN		
	(d) Aadhaar (applicable in case of proprietorship concerns only)		
3.	<b>Type of enrolment</b>		
	(i) Warehouse or Depot		(ii) Godown
	(iii) Transport services		(iv) Cold Storage
4.	<b>Constitution of Business (Please Select the Appropriate)</b>		
	(i) Proprietorship or HUF		(ii) Partnership
	(iii) Company		(iv) Others
5.	<b>Particulars of Principal Place of Business</b>		
(a)	<i>Address</i>		
	Building No. or Flat No.	Floor No.	
	Name of the Premises or Building	Road or Street	
	City or Town or Locality or Village	Taluka or Block	
	District		
	State	PIN Code	
	Latitude	Longitude	
(b)	<i>Contact Information (the email address and mobile number will be used for authentication)</i>		
	Email Address	Telephone	STD
	Mobile Number	Fax	STD
(c)	<i>Nature of premises</i>		

Own	Leased	Rented	Consent	Shared	Others (specify)
6.	Details of additional place of business – Add for additional place(s) of business, if any (fill up the same information as in item 5 [(a), (b), and (c)])				
7.	Consent				
<p><i>I on behalf of the holder of Aadhaar number &lt;pre-filled based on Aadhaar number provided in the form&gt; give consent to "Goods and Services Tax Network" to obtain my details from UIDAI for the purpose of authentication. "Goods and Services Tax Network" has informed me that identity information would only be used for validating identity of the Aadhaar holder and will be shared with Central Identities Data Repository only for the purpose of authentication.</i></p>					
8. List of documents uploaded (Identity and address proof)					
9. Verification I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.					
Place:			Signature		
Date:			Name of Authorised Signatory		
<b>For Office Use:</b>					
Enrolment no			Date-		

**Amendment in FORM GST RFD-01** 13. From the 1<sup>st</sup> July of 2017, for "FORM GST RFD-01", the following Form shall be substituted and shall be deemed to have been substituted, namely:-

**"FORM-GST-RFD-01**

[See rule 89(1)]

**Application for Refund**

(Applicable for casual or non-resident taxable person, tax deductor, tax collector, un-registered person and other registered taxable person)

1.	GSTIN / Temporary ID							
2.	Legal Name							
3.	Trade Name, if any							
4.	Address							
5.	Tax period (if applicable)	From <Year><Month>		To	<Year><Month>			
6.	Amount of Refund	Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total

	Claimed (Rs.)	Central tax							
		State / UT tax							
		Integrated tax							
		Cess							
		Total							
7.	Grounds of refund claim (select from drop down)	(a)	Excess balance in Electronic Cash Ledger						
		(b)	Exports of services- with payment of tax						
		(c)	Exports of goods / services- without payment of tax (accumulated ITC)						
		(d)	On account of order						
			Sr. No.	Type of order	Order no.	Order date	Order Issuing Authority	Payment reference no., if any	
			(i)	Assessment					
			(ii)	Provisional assessment					
			(iii)	Appeal					
		(iv)	Any other order (specify)						
		(e)	ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]						
		(f)	On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer (with payment of tax)						
		(g)	On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer (without payment of tax)						
		(h)	Recipient of deemed export						
		(i)	Tax paid on a supply which is not provided, either wholly or partially, and for which invoice has not been issued (tax paid on advance payment)						
(j)	Tax paid on an intra-State supply which is subsequently held to be inter-State supply and vice versa(change of POS)								
(k)	Excess payment of tax, if any								
(l)	Any other ( <i>specify</i> )								
8.	Details of Bank account	Name of bank	Address of branch	IFSC	Type of account	Account No.			
9.	Whether Self-Declaration filed by Applicant u/s 54(4), if applicable				<input type="checkbox"/> Yes		<input type="checkbox"/> No		

**DECLARATION [second proviso to section 54(3)]**

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature

Name –

Designation / Status

**DECLARATION [section 54(3)(ii)]**

I hereby declare that the refund of input tax credit claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making 'nil' rated or fully exempt supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

**DECLARATION [rule 89(2)(f)]**

I hereby declare that the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature

Name –

Designation / Status

**DECLARATION [rule 89(2)(g)]**

**(For recipients of deemed export)**

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been reported in statement of inward supplies filed in Form GSTR-2 for the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period.

Signature

Name –

Designation / Status





**SELF- DECLARATION [rule 89(2)(D)]**

I \_\_\_\_\_ (Applicant) having GSTIN/ temporary Id -----, solemnly affirm and certify that in respect of the refund amounting to Rs. ---/ with respect to the tax, interest, or any other amount for the period from---to---, claimed in the refund application, the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person.

Signature

Name –

Designation / Status

*(This Declaration is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54.)*

**10. Verification**

I/We <Taxpayer Name> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

I/We declare that no refund on this account has been received by me/us earlier.

Place

Signature of Authorised Signatory

Date

(Name)

Designation/ Status

**Annexure-1**

**Statement -1 [rule 89(5)]**

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

(Amount in Rs.)

Turnover of inverted rated supply of goods	Tax payable on such inverted rated supply of goods	Adjusted total turnover	Net input tax credit	Maximum refund amount to be claimed [(1×4÷3)-2]
1	2	3	4	5

**Statement- 2 [rule 89(2)(c)]**

Refund Type: Exports of services with payment of tax

Sl. No.	Invoice details			Integrated tax		BRC/ FIRC		(Amount in Rs.)		
	No.	Date	Value	Taxable value	Amt.	No.	Date	Integrated tax involved in debit note, if any	Integrated tax involved in credit note, if any	Net Integrated tax (6+9 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Statement- 3 [rule 89(2)(b) and 89(2)(c)]**

Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC)

Sl. No.	Invoice details			Goods/ Services (G/S)	Shipping bill/ Bill of export			EGM Details		BRC/ FIRC		
	No.	Date	Value		Port code	No.	Date	Ref No.	Date	No.	Date	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

**Statement- 3A [rule 89(4)]**

Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount  
(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

**Statement-4 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]**

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)  
(Amount in Rs.)

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Integrated Tax		Integrated tax involved in debit note, if any	Integrated tax involved in credit note, if any	Net Integrated tax (8+ 9 – 10)
	No.	Date	Value	No.	Date	Taxable Value	Amt.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Statement-5 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]**

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (without payment of tax)  
(Amount in Rs.)

Sl. No.	Invoice details			Goods/ Services (G/S)	Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice no.	
	No.	Date	Value		No.	Date
1	2	3	4	5	6	7

**Statement-5A [rule 89(4)]**

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit / SEZ developer without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount  
(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

**Statement-6 [rule 89(2)(i)]**

Refund Type: On account of change in POS of the supplies (inter-State to intra-State and vice versa)  
Order Details (issued in pursuance of sections 77 (1) and (2), if any: Order No: Order Date:

(Amount in Rs.)

GSTIN/ UIN Name (in case B2C)	Details of invoices covering transaction considered as intra-State / inter-State transaction earlier									Transaction which were held inter-State / intra-State supply subsequently				
	Invoice details				Integrat ed tax	Central tax	State/ UT tax	Cess	Place of Supply	Integrat ed tax	Central tax	State/ UT tax	Cess	Place of Supply
	No.	Date	Value	Taxable Value										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

**Statement-7 [rule 89(2)(k)]**

Refund Type: Excess payment of tax, if any in case of last return filed.

(Amount in Rs.)

Tax period	ARN of return	Date of filing return	Tax Payable			
			Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7

## Annexure-2

### Certificate [rule 89(2)(m)]

This is to certify that in respect of the refund amounting to Rs. .... (in words) claimed by M/s----- (Applicant's Name) GSTIN/ Temporary ID----- for the tax period -----, the incidence of tax and interest, has not been passed on to any other person. This certificate is based on the examination of the books of account and other relevant records and returns particulars maintained/ furnished by the applicant.

Signature of the Chartered Accountant/ Cost Accountant:

Name:

Membership Number:

Place:

Date:

*Note - This Certificate is not required to be furnished by the applicant, claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54 of the Act.*

#### **Instructions –**

##### 2. Terms used:

(a)B to C:	From registered person to unregistered person
(b)EGM:	Export General Manifest
(c)GSTIN:	Goods and Services Tax Identification Number
(d)IGST:	Integrated goods and services tax
(e)ITC:	Input tax credit
(f)POS:	Place of Supply (Respective State)
(g)SEZ:	Special Economic Zone
(h)Temporary ID:	Temporary Identification Number
(i)UIN:	Unique Identity Number

2. Refund of excess amount available in electronic cash ledger can also be claimed through return or by filing application.

3. Debit entry shall be made in electronic credit or cash ledger at the time of filing the application.

4. Acknowledgement in Form GST RFD-02 will be issued if the application is found complete in all respects.

5. Claim of refund on export of goods with payment of IGST shall not be processed through this application.

6. Bank account details should be as per registration data. Any change in bank details shall first be amended in registration particulars before quoting in the application.

7. Declaration shall be filed in cases wherever required.

8. 'Net input tax credit' means input tax credit availed on inputs during the relevant period for the purpose of Statement-1 and will include ITC on input services also for the purpose of Statement-3A and 5A.



9. Adjusted total turnover' means the turnover in a State or a Union territory, as defined under clause (112) of section 2 excluding the value of exempt supplies other than zero-rated supplies, during the relevant period.
10. For the purpose of Statement-1, refund claim will be based on supplies reported in GSTR-1 and GSTR-2.
11. BRC or FIRC details will be mandatory where refund is claimed against export of services details of shipping bill and EGM will be mandatory to be provided in case of export of goods.
12. Where the invoice details are amended (including export), refund shall be allowed as per the calculation based on amended value.
13. Details of export made without payment of tax shall be reported in Statement-3.
14. Availability of refund to be claimed in case of supplies made to SEZ unit or SEZ developer without payment of tax shall be worked out in accordance with the formula prescribed in rule 89(4)
15. 'Turnover of zero rated supply of goods and services' shall have the same meaning as defined in rule 89(4).";

**Amendment in  
FORM GST  
TRAN-2**

12. From the 1<sup>st</sup> July of 2017, for "FORM GST TRAN-2", the following Form shall be substituted and shall be deemed to be have been substituted, namely:-

(a) in Serial No. 4, for the words "appointment date", the words "appointed date" shall be substituted and shall be deemed to be have been substituted;

(b) in Serial No. 5, for the words "credit on", the words "credit of" shall be substituted and shall be deemed to be have been substituted;

  
(Radha Raturi)  
Principal Secretary